



राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)



प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)



एम.आई.जी. बी फ्लैट्स, मानसरोवर, जयपुर



Sarsawati Apartment Pratap Nagar, Jaipur

सरस्वती अपार्टमेंट, प्रताप नगर, जयपुर



विन्ध्याचल अपार्टमेंट, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर



गोमती अपार्टमेंट, प्रताप नगर, जयपुर



एम.आई.जी.-ए, कुड़ी भगतासनी, पाली रोड़, जोधपुर



राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2017-18

(माह दिसम्बर 2017 तक)

1. सामान्य

प्रदेश में बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण उत्पन्न हुई आवासीय समस्या के समाधान के उद्देश्य से 24 फरवरी, 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना की गई। राजस्थान आवासन मण्डल सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनियों विकसित कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। मण्डल द्वारा विकसित की गयी कॉलोनियों में कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित किये जाते हैं।

2.1 आवास निर्माण / आवंटन

आवासन मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 65 शहरों/कस्बों में विभिन्न वर्गों के लिए कुल 250309 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इनमें से 244909 आवास पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किये गये, 247727 आवास पूर्ण किये गये तथा 225610 आवासों का कब्जा भी दिया जा चुका है। निर्माण कार्य पर रु. 7189.73 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर, 2017 तक राज्य के 14 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्गों के 2582 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2.2 वित्त प्रबन्धन

आवासन मण्डल अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध स्वयं के स्रोत से करता है, विशेष रूप से वित्त का प्रबन्ध स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि, वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण द्वारा किया जाता है। पिछले वर्षों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज की दरें घटाने के फलस्वरूप मण्डल द्वारा पूर्व में उच्च ब्याज दरों पर लिये गये ऋण रु 140.79 करोड़ की राशि का समय पूर्व भुगतान कर ऋणभार को कम किया गया एवं वर्तमान में कम ब्याज दर पर प्राप्त केवल नेशनल हाऊसिंग बैंक का माह दिसम्बर, 2017 के अन्त में रु 81.02 लाख राशि का ऋण ही बकाया है। मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

3.1 पंजीकरण पुस्तिका

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित पुस्तिका का विक्रय मूल्य कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/563 दिनांक 17.07.2014 द्वारा 300.00 रु कर दिया गया है।

3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/765 दिनांक 8.08.2013 द्वारा नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग
रु 500.00	रु 700.00	रु 1000.00	रु 1500.00	रु 2000.00

सभी आवेदकों से उक्तानुसार वसूल की गयी प्रोसेसिंग फीस किसी भी आवेदक को पुर्नभुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

3.3 आय वर्ग एवं पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के आवासों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में पंजीकरण हेतु आवेदकों की आय सीमा कार्यालय आदेश क्रमांक: मुसप्र / आय / बो.मी. – 217.7/2012/901 दिनांक 12.10.2012 एवं पंजीकरण राशि आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 26.06.2009. से निम्नानुसार है :-

(अ) वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि

क्र. सं.	आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1,00,000 / -	7,000
2.	अल्प आय वर्ग	1,00,001 से 2,50,000 तक	15,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	2,50,001 से 4,50,000 तक	50,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	4,50,001 से 6,00,000 तक	80,000
5.	उच्च आय वर्ग	6,00,001 एवं अधिक	1,20,000

(ब) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु पंजीकरण राशि

स्ववित्त पोषित योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों से पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान कार्यालय आदेश क्रमांक

मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 द्वारा लागू किया गया तथा कार्यालय आदेश प. 149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 द्वारा मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण कराने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा कराने की रियायत दी गई है।

3.4 पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग परिवर्तन के प्रावधान

बहुमंजिले आवासों के संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2009 / 481 दिनांक 29.06.2009 के द्वारा निम्नानुसार नये प्रावधान तय किये गये हैं :-

- बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे।
- आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।

3.5 पंजीकरण राशि पर निम्न दर से ब्याज देय है :-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

3.6 पंजीकरण राशि की वापसी

आवेदकों को पंजीकरण राशि वापिस लेने की सुविधा मण्डल ने दे रखी है। पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद पूर्वग्रहण राशि मॉगपत्र जारी करने से पूर्व रिफण्ड मॉगने की स्थिति में पंजीकरण राशि ब्याज सहित वापिस ली जा सकती है लेकिन आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण राशि 20 प्रतिशत काटकर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के

नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क आवासन मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक—मुसप्र/2013/1642 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित/संशोधित किया गया है :-

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रु. 2000/-प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गों के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :-

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग-अ	मध्यम आय वर्ग-ब	उच्च आय वर्ग
500/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2500/-रु.	5000/-रु.

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चातवर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :-

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग-अ	मध्यम आय वर्ग-ब	उच्च आय वर्ग
5000/-रु.	5000/-रु.	10000/-रु.	15000/-रु.	20,000/-रु.

- विधिक प्रभार-मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड, प्लिनथ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :-

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग-अ	मध्यम आय वर्ग-ब	उच्च आय वर्ग
200/-रु.	300/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2,000/-रु.

संस्थानिक आवंटन	वाणिज्यिक निर्मित दुकान	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक
10,000/-रु.	1,000/-रु.	1,000/-रु.	5,000/-रु.

(ब) **मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण** : पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तांतरण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र./92/2312 दिनांक 1.12.1992 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान निहित है :-

- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तांतरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति-पत्नि के माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु-दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति-पत्नि, पति/पत्नि के माता पिता, भाई बहिन, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु-दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।
- पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित वृत्त के उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्ही मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :-

मण्डल की विभिन्न बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैटों में निःशक्तजन (विकलांग) आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश

क्रमांक प. विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान में मण्डल द्वारा कई बहुमंजिलीय आवासीय योजनाएँ निर्मित की जा रही हैं जिनमें भूतल पर आवास न होकर स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था है।

अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संशोधित आदेश क्रमांक – प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25.11.2014 के अनुसार ऐसी बहुमंजिलीय आवासीय योजनाएँ जिनमें स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था है उनमें निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आवेदकों के लिये पृथक से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा। जिन बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में भूतल पर स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनमें पूर्ववत् जारी आदेश दिनांक 07.06.2010 के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

3.9 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इन योजनाओं में आदेश क्रमांक 243 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किशतों में जमा करानी होती है। प्रथम किशत, पूर्वग्रहण राशि-पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किशत उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किशत का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। आदेश क्रमांक मु.स. प्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 के अनुसार पूर्वग्रहण राशि के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किशत			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2.	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	40,000	30,000	30,000	1,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	70,000	70,000	60,000	2,00,000
5.	उच्च आय वर्ग	1,00,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000

3.10 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधान :-

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "अ", मध्यम आय वर्ग "ब" एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाएँ बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत

निर्मित होने वाले आवासों की लागत कार्यालय आदेश मुसप्र / 2009 / 481 दिनांक 29.06.2009 में निहित प्रावधान अनुसार आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार मांगी जाती है :-

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	पंजीकरण राशि	आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि		
			किस्त	समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	22.5 %
			द्वितीय	4 माह	22.5 %
			तृतीय	7 माह	22.5 %
			चतुर्थ	10 माह	22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	15.00 %
			द्वितीय	4 माह	15.00 %
			तृतीय	7 माह	15.00 %
			चतुर्थ	10 माह	15.00 %
			पंचम्	13 माह	10.00 %
			षष्ठम्	16 माह	10.00 %
सप्तम्	19 माह	10.00 %			

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किस्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लेट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने / पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :-

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :-
 - (i) वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

- (ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी। ,
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों हेतु नवीन योजनाओं में पंजीकरण ऑन लाईन प्रारम्भ किया जा चुका है। मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना में आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 अनुसार आवास/फ्लैट की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करवाने का प्रावधान है। अतः ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना में जिनमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि के 5.00 लाख रु. से अधिक है, उन आवेदकों को पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि +प्रोसेसिंग चार्ज सहित 5.00 लाख तक की राशि जमा करवाने की सुविधा मण्डल के आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष पंजीकरण राशि जो कि 5.00 लाख रु. से ज्यादा होगी आरक्षण पत्र में प्रथम किस्त के साथ जमा करवानी होगी।

3.11 आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन :-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा वरीयता एवं आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प द्वारा RHBMS परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे स्टेट डेटा सेंटर (SDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना मण्डल की वेबसाईट rhbonline.rajasthan.gov.in पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। आवासों का आवंटन "डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन-1970", "पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981" एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता है। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार आवेदकों को आवास हेतु सीड मनी पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

3.12 वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में निम्न प्रकार से आरक्षण का प्रावधान कार्यालय आदेश क्रमांक अ.मु.अ.(पीएण्डएम) / रा.आ.मं. / 2012 / 303 दिनांक 04.10.2012 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :-

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा
1.	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)	18.00 प्रतिशत
		वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	10.00 प्रतिशत
2.	जी-2	सामान्य श्रेणी	29.00 प्रतिशत
		प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर्स	05 प्रतिशत
3.	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5.	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
6.	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7.	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8.	जी-8	भू सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9.	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत
			01 प्रतिशत
			01 प्रतिशत
10.	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत
		योग	100.00 प्रतिशत

3.13 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के पुत्र,पुत्री,पुत्रवधु,दामाद,माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को मण्डल का आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

3.14 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तित कराने की सुविधा है, किन्तु इसके विपरीत नकद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

3.15 किशतों पर देय ब्याज दर

आदेश क्रमांक एफ 2/3/लागत/1030/561 दिनांक 9.03.2006 एवं यथा संशोधित कार्यालय आदेश 586 दिनांक 11.03.2010 से आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्न प्रकार तय की गई है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर प्रतिशत	मासिक किशतों की अवधि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	240 माह
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	240 माह
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	156 माह
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	156 माह
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	156 माह

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2/3/लागत/1030/561 दिनांक 9.03.2006 के अनुसार विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा दिनांक 1.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्व में प्रभावी ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	8.00%
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	9.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	10.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	11.00%
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	12.00%

4. गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से करवाया जाता है।

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए मण्डल मुख्यालय पर पृथक से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी

अधिकारी/कर्मचारी के साथ पदस्थापित है जो स्वतंत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं।

गुणवता नियन्त्रण के परिप्रेक्ष्य में मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ-मु/राआम/933 दिनांक 04.11.15 जारी किया गया है। इसके अनुसार समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त निर्माण परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों का संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने हेतु अधिकृत किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्यों के आवश्यक सैम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं।

5. मण्डल की कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएँ

आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पार्क व खुले मैदान, व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था, रोड़ लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कालोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि के लिये भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मंडल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

6. प्रचार प्रसार

जन सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार के विभिन्न माध्यमों यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

7. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

(अ) आवेदकों/आवंटियों की सुविधा के लिए निम्नांकित शहरों में आवासन मण्डल के 10 राशि संग्रहण केन्द्र स्थापित हैं, जहां मण्डल द्वारा मांगी गई आवास आरक्षण/आवंटन हेतु वांछित राशि, मासिक किश्तें, लीज मनी इत्यादि जमा की जाती है।

(ब) खातों के रख-रखाव में सुगमता हेतु प्रत्येक वृत्त कार्यालय पर कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गये हैं जिससे प्रत्येक दिन राशि संग्रहण केन्द्र पर एकत्रित की गई राशि का लेखा-जोखा कम्प्यूटर से तैयार कर लिया जाता है। इससे सभी केन्द्रों पर एक दिन में एकत्रित की गई राशि की जानकारी उसी दिन हो जाती है।

आवासन मण्डल के राशि संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	शहर	काउन्टर न.	केन्द्र का पता
1	जयपुर	9	1. कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-5 प्रताप नगर, सांगानेर।
		8	2. थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर।
		10	3. मुख्यालय परिसर, राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर।
		5	4. सैक्टर-9, पानी की टंकी के पास, मालवीय नगर।
2	कोटा	1	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल (नगर विकास न्यास कार्यालय के पीछे), कोटा।
3	जोधपुर	1	1. कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, सैक्टर-11, चौपासनी योजना राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
		2	2. कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल सैक्टर-4 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
4	अलवर	1	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रतापनगर, सी.ई.बी.योजना बस स्टैण्ड के पीछे, अलवर।
5	बीकानेर	1	1. 3-घ-42, पवनपुरी आवासीय योजना, बीकानेर।
		2	1. कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर।

राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंक

आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर/कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची दिनांक 31.12.2017 तक निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
1	वृत्त प्रथम, जयपुर	प्रताप नगर, जयपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
2	वृत्त द्वितीय, जयपुर	जयपुर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		अजमेर	एचडीएफसी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा
		नसीराबाद (अजमेर)	बैंक ऑफ बड़ौदा
		सीकर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		चुरु	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		झुन्झनू	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		किशनगढ	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		ब्यावर	एचडीएफसी बैंक
3	वृत्त तृतीय, जयपुर	जयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक
		दौसा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक
		सवाई माधोपुर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एक्सीस बैंक
		टौंक	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एक्सीस बैंक
		कोटपूतली (जयपुर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक
4	वृत्त प्रथम/द्वितीय, जोधपुर	जोधपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		पाली	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		सुमेरपुर (पाली)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
		सिरोही	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		पिण्डवाडा (सिरोही)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
		आबूरोड (सिरोही)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		बालोतरा (सिरोही)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		फलोदी (जोधपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		बाडमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		जैसलमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
5	कोटा	कोटा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		बांरा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		छीपाबडोद (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		अटरू (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		छबडा (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		बूंदी	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		भवानीमंडी (झालावाड)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		रामगंजमंडी (कोटा)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		झालावाड	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		अकलेरा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		चौमेला	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		अन्ता	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		लाखेरी	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
6	उदयपुर	उदयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		राजसमंद	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		प्रतापगढ	बैंक ऑफ बडौदा
		चित्तोडगढ	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		निम्बाहेडा (चित्तोडगढ)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. बैंक ऑफ बडौदा
		गुलाबपुरा (भीलवाडा)	बैंक ऑफ बडौदा
		भीलवाडा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक एवं एक्सीस बैंक
		बांसवाडा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		सागवाडा (डूंगरपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		परतापुर (बांसवाडा)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		डूंगरपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		भीण्डर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		सलूम्वर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		नाथद्वारा	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		रायला	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
7	अलवर	अलवर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		भिवाडी (अलवर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		धौलपुर	अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक ग्रामीण बैंक
		भरतपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
8	बीकानेर	बीकानेर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		हनुमानगढ	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		सूरतगढ (श्रीगंगानगर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		श्रीगंगानगर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		नागौर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक

8. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु मंडल मुख्यालय पर नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है, इसके अतिरिक्त सभी वृत्त कार्यालयों में भी शिकायतों के निस्तारण हेतु पृथक से काउन्टर स्थापित किये गये हैं इनमें प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है। मण्डल मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की जाती है। समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ताओं द्वारा सुनवाई की जाती है। (आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/विविध/2009/जनसुनवाई/2132 दिनांक 18.09.09) आवेदक/ आवंटी अपनी समस्या राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज करा सकता है।

जन सुनवाई के लिए स्थान एवं समय का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन सुनवाई का स्थान	जन सुनवाई हेतु निर्धारित दिन/समय
1.	अध्यक्ष	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक
2.	आवासन आयुक्त	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे से 4.30 बजे तक
3.	उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
4.	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
5.	आवासीय अभियन्ता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबन्धित खण्ड-कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
6.	तक. सहा. आवा. अभियन्ता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबन्धित खण्ड-कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक

9. कम्प्यूटरीकरण

वर्तमान में आवासन मण्डल में कम्प्यूटर पर निम्नांकित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है:

अ वित्त एवं लेखा कार्य

1. वार्षिक बजट
2. वेतन बिल, कटौती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण
3. मासिक खाते (मुख्यालय)
4. सामान्य भविष्य निधि लेखा

- 5 पेंशन सम्बन्धित कार्य
- 6 आयकर सम्बन्धित कार्य
- 7 आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य
- 8 आवंटी लेखा विवरण

ब आवासन कार्य

- 1 योजना / श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी
- 2 आवास आवंटन लॉटरी
- 3 आवंटन पत्र
- 4 आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस

स विधिक कार्य

- 1 न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का सूचीकरण (कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

द संस्थापन कार्य

य योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य

र नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण

10. भूमि अवाप्ति :-

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। 31.12.2017 को धारा 4(1) के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर 4837.865 हैक्टेयर (तालिका IV.a) एवं राज्य सरकार स्तर पर 259.3787 हैक्टेयर (तालिका IV.b) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर 91.99 हैक्टेयर (तालिका IV.c) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

11. भौतिक प्रगति

11.1 भौतिक प्रगति : वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर 2017 तक)

क्र. सं.	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	नये मकान प्रारम्भ करना	0	0
2.	मकानों को पूर्ण करना	2140	802
3.	मकानों का आवंटन	2212	86
4.	मकानों का कब्जा देना	9937	1247

11.2 आदिनांक तक भौतिक प्रगति :

मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2017 तक नये आवास प्रारम्भ / पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति निम्न प्रकार है :-


क्र. सं.	आय वर्ग	नये आवास प्रारम्भ	आवास पूर्ण	आवास आवंटित	आवासों के कब्जे
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	81212	81084	79621	72820
2.	अल्प आय वर्ग	69531	68124	67789	60905
3.	मध्यम आय वर्ग -अ	41759	41523	40814	37751
4.	मध्यम आय वर्ग- ब	35666	35295	35053	33623
5.	उच्च आय वर्ग	22141	21701	21632	20511
	योग	250309	247727	244909	225610

12. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

12.1 निर्माण कार्यों पर व्यय

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2017 तक निर्माण कार्यों पर कुल रू. 7189.73 करोड़ व्यय किए जा गये हैं। वर्ष 2017-18 निर्माण कार्यों पर 526.22 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2017 तक रू. 126.85 करोड़ व्यय किये गये।


चित्र संख्या-1




12. 2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2017 तक रु. 9485.93 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रु. 791.99 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 429.90 करोड़ प्राप्त हुये।


चित्र संख्या-2




12.3 भौतिक प्रगति – वर्ष 2017–18 के दौरान आवास गतिविधियों की भौतिक प्रगति का ग्राफ–




12.4– गत पाँच पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मण्डल की मुख्य गतिविधियों की भौतिक प्रगति का ग्राफ



12.5 मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2017 तक मण्डल की मुख्य गतिविधियों का ग्राफ



12.6 मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2017 तक आय वर्गानुसार आवास निर्माण प्रारम्भ करने का प्रतिशतवार विवरण



13. अभिनव प्रयोग एवं नवाचार :-

- **आवासों की लागत में कमी**— राज्य सरकार के निर्देशानुसार मण्डल द्वारा सभी आय वर्गों के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक प 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है। लागत सिद्धान्तों में संशोधन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-
 - विकसित भूमि दर गणना करते समय लिये जाने वाले वार्षिक ब्याज को 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
 - Contingency & Equalization reserve (CER) को आवासों के वर्ग अनुसार एक से दो प्रतिशत तक कम किया गया है।
 - विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज को लगभग 1 से 3 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
 - टी एण्ड पी / रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट एवं गुणवत्ता नियंत्रण मद में वास्तविक लागत गणना करते समय लिये जाने वाले चार्ज, जो पूर्व में 0.5 प्रतिशत था, को हटा दिया गया है।
- **ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी** ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग "ब" व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढ़ाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है साथ ही इन दोनों वर्गों के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
- **पहचान के प्रमाण (KYC)** :-आवासन मण्डल ने आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC) नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत सभी तरह के आवंटियों/आवेदकों को पहचान/पते के सबूत एवं नवीनतम फोटोग्राफ देने की अनिवार्यता कर दी गई है जिससे मूल आवेदक/आवंटी को आवास का आवंटन/कब्जा प्राप्त होता है।
- आवासों/फ्लेटों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है इसके अन्तर्गत लॉटरी के पश्चात योग्य आवेदकों से ही आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आदि प्रपत्र लिये जाते हैं। पूर्व में ये सभी प्रपत्र नई योजना में पंजीकरण

हेतु भाग लेने वाले सभी आवेदकों से लिये जाते थे।

- **आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र :-**आवंटियों की सुविधा हेतु मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।
- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास :-**आवासीय योजनाओं में प्लिंथ लेवल/ढाँचागत आवास निर्मित किये जाने के फलस्वरूप रहवास दर अत्यन्त कम होने के कारण योजनाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। अतः आवासन मण्डल ने रहवास दर को बढ़ाने के लिये पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- **देखरेख योजना (DRY) :-**आवास निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही आवेदक को आवास आवंटन किया जाता है ताकि आवंटी निर्माणाधीन आवास का अवलोकन कर निर्माण के दौरान अपने सुझाव दे सकें।
- **बहुमंजिली आवासीय योजनाओं में रेजीडेंट वेलफेयर एसोशियसन का सरलीकरण :-** बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी का गठन करवाया जाता है जिससे फ्लेटों की सामान्य सुविधाओं का रखरखाव सोसाइटी के माध्यम से सुचारू रूप से किया जा सके।
- **वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयास :-**प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिली आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों में "वर्षा जल संरक्षण संरचना" विकसित करना प्रारम्भ कर दिया है।
- **बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डिजेशन :-** उचित मानदण्ड, उच्च गुणवत्ता एवं निर्माण में एकरूपता रखने के उद्देश्य से बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डिजेशन करते हुए बुकलेट जारी की गई है।
- **आगन्तुक सुझाव पुस्तिका :-**आम व्यक्ति, आवंटी तथा निर्माण विशेषज्ञ निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन करने हेतु स्वतंत्र हैं। कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है। उचित एवं व्यावहारिक पाये गये सुझावों को निर्माणाधीन एवं भावी योजनाओं में यथा सम्भव समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरण :-**विभिन्न शहरों में मण्डल की आवासीय योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु सम पारदर्शी प्रक्रिया/नियमावली का सरलीकरण किया गया है।
- **आवंटियों/आवेदकों की सुविधा के लिये पंजीकरण कार्य, रिफण्ड कार्य अब बैंकों के माध्यम से भी किया जाने लगा है।**
- **पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराइजेशन :-** राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूटराइजेशन हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) के साथ आवासन

मण्डल द्वारा रू 948.64 लाख का मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MOU) हस्ताक्षरित किया गया । इसके अन्तर्गत आर.आई.एस.एल द्वारा Rajasthan Housing Board Monitoring system (RHBMS) परियोजना के तहत M/S IL&FS Pvt. Ltd. को राशि रू 714.11 लाख का कार्यादेश जारी किया गया । वर्तमान में नई आवासीय योजनाओं के पंजीकरण का कार्य तथा जयपुर, जोधपुर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों, वृत्त अलवर, वृत्त बीकानेर स्थित कार्यालयों में राशि संग्रहण का कार्य ऑनलाईन कर दिया गया है, शेष वृत्त कार्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है । जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा गाँधी नगर, प्रताप नगर व मानसरोवर की योजनाओं के आवंटियों के खातों का संकलन, अदेय प्रमाण पत्र तथा प्रदेश में वरीयता एवं आवास आवंटन लॉटरी करने के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है । वित्त एवं बजट सम्बन्धित कार्य, प्रोजेक्ट मोनेटरिंग तथा सम्पत्तियों के लेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है । मण्डल की समस्त गतिविधियों के कम्प्यूटराईजेशन किये जाने हेतु RISL के माध्यम से IL&LS Ltd. को दिये कार्यादेशानुसार उक्त कार्य अगस्त 2018 तक सॉफ्टवेयर डवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से मण्डल के लगभग दो लाख से अधिक आवंटी प्रत्यक्ष / परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे ।

इसके अतिरिक्त आवासन मण्डल के अधिकारियों को सूचना के त्वरित आदान-प्रदान हेतु विभागीय ई-मेल आईडी सुविधा (तालिका VII) उपलब्ध करवा दी गई है ।

- आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु आवेदकों की अस्थायी एवं स्थाई सूचि, वरियता / आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात सफल आवेदकों / आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है ।
- आवासन मण्डल के संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ-मु/राआम/2015/1120 दिनांक 28.12.2015 द्वारा मण्डल की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से ई-टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रू 25.00 लाख एवं इससे अधिक को संशोधित कर एतद्द्वारा रू 10.00 लाख एवं इससे अधिक किया गया है । उक्त आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी है । संबन्धित निविदाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रू 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर अपलोड की जा रही है ।
- राजस्थान आवासन मण्डल को प्रबन्धकीय कार्य गुणवत्ता हेतु ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र भी दिया गया है ।
- मण्डल के जयपुर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों में आवासों / फ्लेटों के आवंटियों द्वारा जमा करायी जा रही राशि के कलेक्शन काउंटर्स को ऑनलाईन कर दिया गया है । इससे आवंटियों द्वारा जमा करायी जा रही राशि आवंटी के सीधे खाते में जमा हो रही है ।
- स्ववित्त पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा यदि आवास

निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोडते हुए आवंटी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।

- आवासन मण्डल की आवासीय योजना में उपलब्ध 4000.00 वर्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक) का विवरण मण्डल की वेबसाईट तथा गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। इसे आवासन मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध Resurgent Rajasthan के Icon पर क्लिक कर देखा जा सकता है।
- **ई-आक्शन** – आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से मण्डल की सम्पत्तियों का निस्तारण e-auction के माध्यम से प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।

14. मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ –

14.1 मानसरोवर, जयपुर

जयपुर शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 से पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना विकसित की गयी थी। इस योजना में दिसम्बर 2017 तक विभिन्न श्रेणी के 27930 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 27478 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27236 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

- **रामकृष्ण अपार्टमेन्ट** : शिप्रा पथ, मानसरोवर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग “ब” के कुल 180 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कर 180 फ्लैट्स का आवंटन कर 178 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।
- **द्वारका अपार्टमेन्ट** : पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु द्वारका पथ, मानसरोवर में मध्यम आय वर्ग “ब” के 324 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें से कुल 222 फ्लैट्स का आवंटन कर 66 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।
- **अरावली अपार्टमेन्ट** : पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत न्यू सांगानेर रोड, सेक्टर-8 में उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+13) फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें से 58 पूर्व पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट्स आवंटन हेतु योग्य पाया गया एवं 47 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है।
- **बहुमंजिली स्ववित्त पोषित योजना** : 189 बहुमंजिले (B+S+12) स्ववित्त पोषित योजना 2012 एवं 2014 के अन्तर्गत द्वारका पथ पर 189 आवास नियोजित किये जाकर 96 आवासों का निर्माण कार्य मार्च 2015 में प्रारम्भ किया गया, जिसमें से 82 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। शेष 93 आवासों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित है। साथ ही द्वारका पथ पर पूर्व पंजीकृत लम्बित आवेदकों हेतु बहुमंजिले 72 उच्च आय वर्ग (B+S+9) के आवास नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसमें से 31 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है।

14.2 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल के अधीन दिसम्बर 2017 तक जयपुर शहर में इन्दिरा गांधी नगर योजना निर्माणाधीन है। इस योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के कुल 8999 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ

कर 8999 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। योजना में कुल 8811 आवासों का आवंटन कर 7835 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को संभलवाया जा चुका है। इस योजना में वर्तमान में निम्न मुख्य योजनाएँ प्रगति पर है :-

- **मध्यम आय वर्ग 'ब' (बी+एस+9) के 360 फ्लैट्स का निर्माण कार्य।**

मध्यम आय वर्ग 'ब' (बी+एस+9) के 360 फ्लैट्स का निर्माण सेक्टर-08, इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्ण कर लिया गया है। इन फ्लैट्स हेतु पंजीकरण स्ववित्त पोषित योजना के तहत दिनांक 14.12.2012 से 21.01.2013 तक किया गया था। फ्लैट्स के निर्माण के साथ-साथ इस योजना के समस्त विकास कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिये गये हैं। वर्तमान में फ्लैट्स के भौतिक कब्जा संभलाने का कार्य प्रगति पर है।

- **मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) 208 फ्लैट्स का निर्माण कार्य।**

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 208 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण बिदनांक 19.12.2014 से 18.01.2015 तक किया गया था। इस योजना के तहत सेक्टर-04 में 24 फ्लैट्स का निर्माण कार्य, सेक्टर-05 में 24 फ्लैट्स का निर्माण कार्य व सेक्टर-07 में 160 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सेक्टर-04 व 05 के 48 फ्लैट्स के कब्जे दिये जाने का कार्य प्रगति पर है। सेक्टर-07 के 160 फ्लैट्स हेतु बाह्य विकास कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रक्रियाधीन है।

- **अल्प आय वर्ग (जी+3) के 144 फ्लैट्स का निर्माण कार्य।**

अल्प आय वर्ग (जी+3) के 144 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण योजना दिनांक 19.12.2014 से 18.01.2015 तक प्रारम्भ की गई थी। इन फ्लैट्स का निर्माण कार्य सेक्टर-09 में पूर्ण कर लिया गया है। योजना में बाह्य विकास कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

- **अल्प आय वर्ग के 148 आवासों का निर्माण कार्य।**

अल्प आय वर्ग के पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु 148 आवासों का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में प्रारम्भ किया गया था। लेकिन संवेदक द्वारा निर्माण अधूरा छोड़े जाने के उपरान्त यह कार्य अन्य संवेदक के माध्यम से पूर्ण करवाकर इन आवासों के भौतिक कब्जे संभलवाने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

14.3 प्रताप नगर, सांगानेर / महला (जयपुर)

प्रताप नगर सांगानेर तथा महला (जयपुर) में दिसम्बर 2017 तक 36965 आवास/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर 35573 आवास/फ्लैट पूर्ण किये गये हैं। इनमें से 31186 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है एवं वर्तमान में प्रतापनगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 1392 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017-18 में 452 फ्लैट पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **राज आंगन :** अप्रवासी भारतीय/अप्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशिष्ट गृह योजना सैक्टर-24 में मण्डल द्वारा वर्ष 2000 में आरम्भ की गई थी जिसमें 303 विभिन्न श्रेणी के आवासों की टाउनशिप विकसित की गयी। यह योजना 57 हैक्टेयर्स में फैली हुई है। इस योजना के चारों तरफ 18 मीटर चौड़ी घनी हरित पट्टी विकसित की गयी। योजनान्तर्गत 303 आवास नियोजित किये गये थे जिसमें से 301 पंजीकरण के विरुद्ध 293 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 293 आवास पूर्ण किये जाकर 291 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।
- **'प्रताप एन्क्लेव' योजना :** राज आंगन परियोजना में राज्य के स्थानीय आवेदकों के रुझान को देखते हुए उच्च आय वर्ग के आवेदकों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 240 विशिष्ट मापदण्डों के आधुनिक ड्यूप्लेक्स आवासों की एक अन्य योजना 'तक्षक' का शुभारम्भ सैक्टर-25 में 16 फरवरी, 2005 को किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर 'प्रताप एन्क्लेव' योजना कर दिया गया है। इस योजना में कुल 216 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से प्रथम चरण व द्वितीय चरण में कुल 216 ड्यूप्लेक्स आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 216 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। योजना में निर्मित सभी आवास उच्च आय वर्ग ड्यूप्लेक्स श्रेणी के बनाये गये हैं।
- **प्रताप अपार्टमेंट :** समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+10) सांगानेर में वीरांगना विहार योजना सहित लम्बित पंजीकृत आवेदकों हेतु सैक्टर-29 में स्ववित्त पोषित/पंजीकरण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के 660, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 300, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 220 एवं उच्च आय वर्ग के 200 फ्लैट्स कुल 1380 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। इनमें से 1380 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1284 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इसी योजना में वीरांगनाओं को अल्प आय वर्ग के 144 एवं मध्यम आय वर्ग अ के 63 कुल 207 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना में 902 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।
- **मेवाड़ अपार्टमेंट :** समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+9) जयपुर के प्रतापनगर के सैक्टर-15 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उच्च आय वर्ग के 352 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 342 फ्लैट्स को आवंटित कर 312 फ्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है।
- **कृष्णा अपार्टमेंट :** सैक्टर-28 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये 1024 (G+3) के आवास नियोजित किये गये हैं। सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1020 का आवंटन कर दिया गया है एवं 964 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।
- **चिनाब अपार्टमेंट :** सैक्टर-28 में समूह आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (अ) के भूतल + तीन मंजिल 880 फ्लैटों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, पूर्ण आवासों में से 629 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।
- **अलकनन्दा अपार्टमेंट :** समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतीक्षारत समान्य पंजीकृत योजना के आवेदकों हेतु सैक्टर-9, प्रतापनगर में भूतल + तीन मंजिले 272 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 264 फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।

- **रावी अपार्टमेन्ट** : सेक्टर-28 में समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के सामान्य पंजीकरण योजना के प्रतीक्षारत आवेदकों हेतु 272 (G+3) फ्लैटों का निर्माण कार्य किया गया था। इनमें से 272 फ्लैट्स का आवंटन कर 258 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।
- **सतलुज अपार्टमेन्ट** : सैक्टर 28 में अल्प आय वर्ग के लिये 416 (G+3) फ्लैट्स नियोजित किये गये हैं, सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 385 फ्लैटों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 320 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **व्यास अपार्टमेन्ट** :-सैक्टर-11 में मध्यम आय वर्ग "ब"(G+2) के 108, मध्यम आय वर्ग-ब (B+S+10) के 160 एवं उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स कुल 364 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 364 फ्लैट्स पूर्ण किये जा चुके हैं। इनमें से 309 फ्लैट्स का आवंटन कर मध्यम आय वर्ग-ब (G+2) के 106 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है। उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 75 फ्लैटों का आवंटन कर 53 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है। मध्यम आय वर्ग व (B+S+10) के 160 फ्लैटों में से 126 फ्लैट आवंटित कर 116 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **बनास अपार्टमेन्ट**, सैक्टर-26 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें से 78 फ्लैट्स का आवंटन कर 70 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **सरयू अपार्टमेन्ट**, सैक्टर-26 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें से 71 फ्लैट्स का आवंटन कर 62 फ्लैट का कब्जा दिया जा चुका है।
- **प्रताप नगर योजना** के सैक्टर-26 जोन 263 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (B+S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लिफ्ट का कार्य प्रगति पर है।
- **सरस्वती अपार्टमेन्ट**:- सेक्टर-18 में मुख्य कुम्भा मार्ग पर मध्यम आय वर्ग-ब के (S+6) के 240 फ्लैट्स नियोजित हैं, इनमें से 240 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 202 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **गोमती अपार्टमेन्ट**:-सेक्टर-18 में मध्यम आय वर्ग-अ के (S+11) के 440 फ्लैटों का नियोजन कर पंजीकरण आमंत्रित कर कुल 396 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। इन फ्लैटों हेतु कुल 397 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। जिसमें से 396 फ्लैट पूर्ण कर 243 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **झेलम अपार्टमेन्ट**:- सेक्टर-28 में मध्यम आय वर्ग -अ के 160 (G+3) फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग -ब के 192 कुल 352 फ्लैट्स (G+3) का नियोजन किया गया था, जिसमें से मध्यम आय वर्ग-अ के 160 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-ब के 192 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण कर मध्यम आय वर्ग-अ के 115 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-ब के 173 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है शेष के कब्जे दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

- **गोदावरी अपार्टमेन्ट:-** सेक्टर-29 में अफोर्डेबल योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के 416, अल्प आय वर्ग के (G+3) के 368 व मध्यम आय वर्ग -अ के (G+3) 160, कुल 944 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमजोर आय वर्ग के 314 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 315 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-अ के 135 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सम्मिलवाया जा चुका है, शेष फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।
- **नर्मदा अपार्टमेन्ट:-** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर-8 में चेतक मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-ब (B+S+11) के 88 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 82 फ्लैट्स का आवंटन कर 67 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है।
- **साबरमती अपार्टमेन्ट:-** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर-17 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-अ (S+9) के 72 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 53 फ्लैटों का आवंटन कर 47 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है।
- **द्वारिकापुरी आवासीय योजना:-** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर-26 में वर्ष 2005 एवं 2007 में अल्प आय वर्ग के लिये विशिष्ट पंजीकरण योजना द्वारिकापुरी (जी+7) के 2976 फ्लैट्स नियोजित किये गये थे। जिसमें से 2976 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1674 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 1980 फ्लैटों का आवंटन कर 850 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है। फ्लैटों के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
- **महला आवासीय योजना:-** जयपुर वृत्त प्रथम के अधीन आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई महला आवासीय योजना जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई हड्डे से लगभग 55.00 किलोमीटर, सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड से लगभग 37 किलोमीटर व जयपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 39 किलोमीटर दूर जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरू व दूदू के मध्य तथा राजमार्ग के दाहिनी ओर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के सामने स्थित है। इस योजना के क्षेत्रफल लगभग 70.44 हैक्टेयर (279.00 बीघा) है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 336 फ्लैट, अल्प आय वर्ग के 1440 फ्लैट एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 272 फ्लैट कुल 2048 फ्लैट (G+3) टाईप के फ्लैट्स बनाये जाने हैं। इसमें से प्रथम चरण में दिनांक 28.02.2014 से 31.03.2014 तक अल्प आय वर्ग के 416 फ्लैट्स (G+3) हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके लिये 1801 आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया था।
इस योजना के द्वितीय चरण में दिनांक 23.06.2014 से 22.07.2014 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लैट्स हेतु एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के 128 (G+3) टाईप के फ्लैट हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिनके लिये क्रमशः आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 2083 आवंटियों ने एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के 160 आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया था। इस योजना के तृतीय चरण में अल्प आय वर्ग के 304 फ्लैट्स हेतु एवं चतुर्थ चरण में अल्प आय वर्ग के 624 (G+3) टाईप के फ्लैट हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी।

महला आवासीय योजना में निर्मित फ्लैटों की वस्तुस्थिति का विवरण:-

Category	Planned	Taken up	Completion	Allotted
EWS	336	112	112	101
LIG	1440	1344	1344	1217
MIG-A	272	128	128	102
Total	2048	1584	1584	1420

14.4 जोधपुर

● **चौपासनी योजना,जोधपुर**

चौपासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2017 के अन्त तक 13795 आवासों आवासों/फ्लेटो का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 13615 आवासों/फ्लेटो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 13702 आवासों/फ्लेटो का आवंटन आवेदकों को कर दिया गया है तथा कुल 13447 आवासों/फ्लेटो का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपूर्द कर दिया गया है।

● **कुड़ी भगतासनी योजना,जोधपुर**

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2017 के अन्त तक 15805 आवासों/फ्लेटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 15805 आवासों/फ्लेटो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 15418 आवासों/फ्लेटो का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 13067 आवासों/फ्लेटो का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपूर्द कर दिया गया है।

● **विवेक विहार योजना,जोधपुर**

विवेक विहार योजना,जोधपुर में माह दिसम्बर 2017 के अन्त तक 1936 फ्लेटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1936 फ्लेटो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1812 फ्लेटो का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 356 फ्लेटो का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपूर्द कर दिया गया है।

● **बड़ली आवासीय योजना,जोधपुर :**

मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर जोधपुर को सचिव राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1693 दिनांक 20.04.2006 के द्वारा निवेदन किया गया तथा अन्य विविध पत्रों द्वारा सिवाय चक राजकीय भूमि आवंटन के लिए निवेदन किया गया। इस क्रम में दिनांक 21.07.2008 को प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में नगर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ग्राम बड़ली की 1100 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित किये जाने का निर्णय किया गया। उक्त भूमि का कब्जा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। हाल ही में माननीया मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पी.पी.पी.मॉडल के तहत योजना हेतु प्रस्तावित है।

14.5 भिवाड़ी (अलवर)

भिवाड़ी शहर में माह दिसम्बर 2017 तक 6103 आवास/फ्लेट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 5893 आवास/फ्लेट्स का आवंटन कर 4966 आवास/फ्लेट्स का हस्तान्तरण किया जा चुका है।

14.6 उदयपुर वृत्त

- **उदयपुर** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 9869 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 9869 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 9854 आवासो का आवंटन कर 9786 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **सलुम्बर** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 287 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 287 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 287 आवासो का आवंटन कर 276 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **राजसमंद** में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 1289 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1289 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1256 आवासो का आवंटन कर 1198 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **भीलवाडा** में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 7530 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 7530 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 7424 आवासो का आवंटन कर 6784 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **चित्तोडगढ** में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 2050 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2050 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2050 आवासो का आवंटन कर 2005 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **निम्बाहेडा** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 1164 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1164 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1146 आवासो का आवंटन कर 1059 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **सागवाडा** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 1081 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1081 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1081 आवासो का आवंटन कर 936 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **बांसवाडा** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 2860 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2860 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2854 आवासो का आवंटन कर 2841 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **परतापुर** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 829 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 829 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 787 आवासो का आवंटन कर 638 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **डूंगरपुर** शहर में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 2282 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2282 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2263 आवासो का आवंटन कर 2249

आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है ।

14.7 कोटा वृत्त

- कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड तथा बारां जिलों में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है / प्रगति पर है । इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30693 आवासों का निर्माण कार्य मण्डल द्वारा हाथ में लिया गया ।
- कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23478 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23454 आवासों का आवंटन किया गया एवं 23389 आवासों का कब्जा माह दिसम्बर 2017 तक कर दिया जा चुका है । वर्तमान में कोटा शहर में कुल 203 पंजीकृत आवेदक आवासों के आवंटन हेतु प्रतीक्षारत है । कोटा शहर हेतु ग्राम रामपुरिया की कुल 2800 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर भूमि की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है, राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र ही आवंटन अपेक्षित है । कोटा वृत्त के अधीन महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है—

(अ) **कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा** – कुन्हाडी योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 427 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है । द्वारकापुरी योजना में भी अल्प आय वर्ग के 120 (G+3) फ्लेट्स का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा अब तक 116 आवंटियों को कब्जे दिये जा चुके है । वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के MIG-B (S+6) 24 flats का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 17 योग्य आवेदकों को फ्लेट्स आवंटित कर दिये गये है ।

(ब) **स्वामी विवेकानन्द योजना कोटा** – इस योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 2612 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा 2607 आवासों के कब्जे दिये जा चुके है ।

(स) **झालावाड़ आवासीय योजना** – झालावाड़ आवासीय योजना में कुल 530 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 525 आवासों का आवंटन अब तक किया जा चुका है तथा अब तक 488 आवासों के कब्जे दिये जा चुके है ।

14.8 बीकानेर

बीकानेर शहर मे आवासन मण्डल द्वारा माह दिसम्बर 2017 तक दो योजनाओं यथा पवनपुरी एवं मुक्ताप्रसाद नगर विकसित की गयी है जिनमें से पवनपुरी योजना में 1583 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर आवेदकों को कब्जा दिया जा चुका है । जबकि मुक्ताप्रसाद नगर मे 4882 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया जिनमें से 4798 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 4549 आवासों का कर्ब्जा आवेदकों को दिया जा चुका है । बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की एक अन्य महत्वपूर्ण शिवबाडी योजना के अन्तर्गत 579.526 हैक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 547.4458 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड तीन चरणों मे जारी कर दिया गया है, भूमि समझौता समिति की बैठक होना अपेक्षित है ।

15 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी- 2009

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। उक्त पॉलिसी के तहत राज्य में वर्ष 2009 से 2014 तक 5 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के 1,25,000 आवास निर्माण किये जाने का लक्ष्यों का निर्धारण सम्बन्धित प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर सुधार न्यासों को किया गया था। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009-10 से माह दिसम्बर 2017 तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण प्रारम्भ कराये गये आवासों की संख्या
1	2009-10	8651
2	2010-11	2949
3	2011-12	3872
4	2012-13	8251
5	2013-14	6237
6	2014-15	5787
7	2015-16	3089
8	2016-17 (माह दिसम्बर 2017 तक)	0
कुल योग		38836

16. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण

● मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत दिनांक 27.11.2015 व 25.02.2016 को महला (जयपुर) हेतु पीपीपी मोड पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु तथा अल्प आय वर्ग के फ्लेटों के निर्माण हेतु EOI जारी की गयी। इसी प्रकार बडली (जोधपुर) हेतु दिनांक 27.11.2015 को पीपीपी मोड पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु तथा अल्प आय वर्ग के फ्लेटों के निर्माण हेतु EOI जारी की गयी। परन्तु उक्त दोनों योजनाओं में किसी भी निविदादाता (Bidder) द्वारा अभिरुचि व्यक्त नहीं की गयी।

वर्तमान में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से पीपीपी मोड पर आवास निर्माण की स्वीकृति उपरान्त (आदेश क्रमांक प 2 (72)यूडीएच/आरएचबी/2017 दिनांक 07.09.2017) राज्य के 11 स्थानों यथा प्रताप नगर जयपुर, बडली जोधपुर, शाहजँहापुर, वाटिका, मानसरोवर, इन्दिरा गौंधी नगर एंव भिवाडी में भूमि चिन्हित की जाकर लगभग 27000 आवासों/फ्लेटों के निर्माण हेतु नियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा निविदा प्रपत्र तैयार किये जाकर स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

● राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अन्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अन्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का PPP मॉडल पर विकास एवं संधारण करने हेतु मानसरोवर आवासीय योजना

जयपुर में वीटी रोड पर लगभग 60,000 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की जाकर ईसीआईडी (ECID) की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त बिड आमंत्रण सूचना दिनांक 18.11.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समयावधि में एक भी बिड प्राप्त नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निवास पर आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2017 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये- “It was decided to keep the proposed I.C.C at V.T. Road Mansarovar, Jaipur in abeyance.”

- **दस्तकार नगर योजना हेतु पंजीकरण**

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नायला, जयपुर स्थित दस्तकार नगर योजना में 750 आवासीय इकाई मय कार्यशाला का निर्माण कराया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 19.12.2015 को विशिष्ट पंजीकरण योजना का विमोचन किया गया था। पंजीकरण योजना दिनांक 21.12.2015 से 20.01.2016 तक प्रारम्भ की गई, जिसकी अवधि दिनांक 19.02.2016 तक बढ़ाई गई। इस योजना में 139 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदनों में से योग्य पाये गये सभी 90 दस्तकारों को दिनांक 26.05.2016 को आवासीय इकाईयों (मय कार्यशाला) का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया। योजना में शेष रही 660 आवासीय इकाईयों मय कार्यशाला को सामान्य आवेदको हेतु खोले जाने का निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। दस्तकार नगर योजना के 750 आवासीय मय कार्यशाला इकाईयों तथा सड़क निर्माण कार्यो पर लगभग रु. 81.03 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना में जलापूर्ति, सीवरेज, रेम्प और सड़क निर्माण पर अनुमानित राशि रु. 1300.00 लाख व्यय होना सम्भावित है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र ही जारी की जा रही है।

- **स्मार्ट सिटी तर्ज पर योजना**

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य के जोधपुर एवं उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आवासीय योजनायें (स्मार्ट टाउनशिप) विकसित किये जाने हेतु सिंगापुर कॉ-ऑपरेशन एंटरप्राइजेज एवं राजस्थान आवासन मण्डल के मध्य 19 नवम्बर 2015 को रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके तहत सिंगापुर कॉ-ऑपरेशन एंटरप्राइजेज (SCE) के माध्यम से शहरी मास्टर-प्लान व वास्तुविदिय डिजाईन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की जायेगी।

सिंगापुर कॉ-ऑपरेशन एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधियों द्वारा जोधपुर स्थित ग्राम केरू की भूमि का निरीक्षण मण्डल अधिकारियों के साथ दिनांक 25.05.2016 को किया गया एवं दिनांक 26.05.2016 को SCE प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक आयोजित की गई।

अनुबन्ध (MOU) की क्रियान्वति के क्रम में पुनः दिनांक 29.08.2016 को SCE प्रतिनिधि मण्डल के साथ एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें Vision document एवं प्रोजेक्ट के समस्त बिन्दुओं को Brief किया गया। SCE द्वारा परियोजना के प्रथम चरण

(Stage –I*) एवं द्वितीय चरण (Stage –II**) हेतु फीस USD 791600.00 की मांग की गयी।

मण्डल प्रशासन द्वारा SCE प्रतिनिधियों को अन्य स्थानों (अमरावती, आन्ध्रप्रदेश एवं प. बंगाल) पर निर्मित की जा रही परियोजनाओं/इकाईयों, के मापदण्डों तथा निर्धारित की गयी शर्तों (Terms & Conditions) का विस्तृत विवरण भेजे जाने हेतु कहा गया। दिनांक 09.02.17 एवं 09.06.17 को मण्डल अध्यक्ष एवं SCE प्रतिनिधियों के बीच सम्पन्न हुई बैठकों में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण उन्हें पुनः समान प्रकृति की परामर्शी योजनाओं के मापदण्ड, शर्तों एवं देय फीस के तर्कसंगत होने बाबत प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि अभी तक अपेक्षित है।

- **मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर 2017**

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना 2017के तहत राज्य के विभिन्न शहरों में मण्डल द्वारा दिनांक 17.07.17 से दिनांक 08.09.17 तक प्रत्येक वृत्त/स्वतंत्र खण्ड/उप खण्ड कार्यालयों में जन कल्याण शिविर आयोजित किये गये। शिविरों में अदेय प्रमाण पत्र, लीजमुक्ति प्रमाण पत्र, आवासों के आवंटन, कब्जा, रिफण्ड प्रकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि कार्य किये गये। शहरी जन कल्याण शिविरों के दौरान राज्यभर में 11,458 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 9814 प्रकरणों का निस्तारण शिविरों में ही कर लिया गया, शेष 1644 प्रकरणों का निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

17. Real Estate Regulatory Authority (RERA)

केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी RERA Act के तहत राज्य द्वारा लागू (RERA Rule) की अनुपालना में मण्डल द्वारा भी अपने आवंटियों को पारदर्शीता एवं गुणवत्ता पूर्ण आवास निश्चित समय पर उपलब्ध कराने हेतु माह दिसम्बर 2017 तक मण्डल के विभिन्न शहरों में प्रगतिरत 30 प्रोजेक्ट्स का Real Estate Regulatory Authority (RERA) अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया गया है।

18. कॉलोनियों का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण

आवासन मण्डल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में विकसित की गयी आवासीय योजनाओं में से वर्ष 2017–18 के दौरान माह दिसम्बर 2017 तक 12 योजनाओं का MOU के आधार पर रख-रखाव हेतु स्थानीय निकायों को हस्तांतरण किया गया है शेष अहस्तांतरित योजनाओं के हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तालिका I

मार्च, 2016 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची :-

1. आबू रोड	24 दौसा	47. पिण्डवाड़ा
2. अजमेर	25 धौलपुर	48. प्रतापगढ़
3. अकलेरा	6 डूंगरपुर	49. रायला
4. अलवर	27. गुलाबपुरा	50. राजसमंद
5. अटरू	28 हनुमानगढ़	51. रामगंजमण्डी
6. बालोतरा	29. जयपुर	52. श्रीगंगानगर
7. बांसवाड़ा	30. जैसलमेर	53. सवाई माधोपुर
8 बारां	31. झालावाड़	54. सागवाड़ा
9 अन्ता	32. झालरापाटन	55. सलुम्बर
10. बडी सादडी	33. झुंझुनू	56. सीकर
11. ब्यावर	34. जोधपुर	57. सिरोही
12. भरतपुर	35. किशनगढ़	58. सिवाना
13. भवानीमण्डी	36. कोटा	59. सुमेरपुर
14. भीलवाड़ा	37. कोटपुतली	60. सुनेल
15. भीण्डर	38. लाखेरी	61. सुरतगढ़
16. भिवाड़ी	39. नागौर	62. टोंक
17 बीकानेर	40. नैनवा	63. उदयपुर
18 बूंदी	41. नसीराबाद	64. मांगरोल
19. छबड़ा	42. नाथद्वारा	65. बाडमेर
20 छीपाबडौद	43. निम्बहेड़ा	
21 चित्तौड़गढ़	44. पाली	
22 चौमेहला	45. फलौदी	
23 चूरू	46. परतापुर	

तालिका II (a)

**शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2017 तक)**

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	531	582	320	155	24	1612	531	582	320	155	24	1612
2	अजमेर	1681	1149	991	827	350	4998	1681	1149	991	827	350	4998
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	372	0	0	0	0	372
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2618	1827	1688	1000	375	7508
5	अटारु	286	103	25	9	3	426	286	103	25	9	3	426
6	बालोतरा	417	356	218	207	28	1226	417	356	218	207	28	1226
7	बांसवाड़ा	1174	988	375	264	60	2861	1174	988	375	264	59	2860
8	बारां	626	166	62	7	0	861	626	166	62	7	0	861
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	64	91	32	7	12	206
10	बडी सादडी	131	71	5	0	0	207	131	71	5	0	0	207
11	ब्यावर	878	522	393	420	149	2362	878	522	393	420	149	2362
12	भरतपुर	355	453	315	120	40	1283	355	453	315	120	40	1283
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	126	27	25	0	0	178
14	भीलवाडा	2857	2636	803	735	499	7530	2857	2636	803	735	499	7530
15	भीण्डर	46	25	8	2	2	83	46	25	8	2	2	83
16	भिवाडी	2235	1433	1005	557	873	6103	2235	1433	1005	557	873	6103
17	बीकानेर	1861	1759	1208	1193	444	6465	1814	1751	1190	1186	440	6381
18	बाड़मेर	384	192	0	0	0	576	384	192	0	0	0	576
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	132	100	0	0	0	232
20	छबड़ा	279	249	72	28	23	651	279	249	72	28	23	651
21	छीपा बडौद	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
22	चित्तौडगढ़	902	505	363	155	125	2050	902	505	363	155	125	2050
23	चूरु	370	288	79	54	49	840	370	288	79	54	49	840
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	245	66	84	1379
25	धौलपुर	444	397	259	231	17	1348	443	381	259	231	17	1331
26	डूंगरपुर	417	809	771	207	78	2282	417	809	771	207	78	2282
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	501	159	177	134	24	7	501
28	हनुमानगढ़	1463	1148	579	779	409	4378	1463	1148	579	779	361	4330
29	जयपुर	22401	24564	15935	17087	12435	92422	22401	23262	15925	16841	12179	90608
30	जैसलमेर	224	93	146	21	22	506	224	93	146	21	22	506
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	165	50	0	0	0	215
32	झालावाड	170	232	93	29	6	530	170	232	93	29	6	530
33	झुंझू	708	653	163	236	46	1806	708	653	*	236	46	1806
34	जोधपुर	12745	10486	5018	3995	2620	34864	12745	10486	5018	3923	2512	34684
35	किशनगढ़	998	427	281	181	88	1975	998	427	281	181	88	1975

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
36	कोटा	8287	6294	3950	3368	1579	23478	8287	6294	3950	3365	1576	23472
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	502	383	221	86	12	1204
38	कोटपुतली	299	252	155	101	69	876	299	252	155	101	69	876
39	लाखेरी	234	104	43	16	9	406	229	104	43	16	9	401
40	मांगरोल	177	59	8	0	0	244	177	59	8	0	0	244
41	नागौर	1421	857	514	161	28	2981	1417	781	340	138	21	2697
42	नैनवा	128	200	42	16	12	398	128	200	9	0	0	337
43	नसीराबाद	434	303	119	95	61	1012	434	303	119	95	61	1012
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232
45	निम्बाहेड़ा	363	363	253	98	87	1164	363	363	253	98	87	1164
46	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547
47	परतापुर	274	351	111	76	17	829	274	351	111	76	17	829
48	फलोदी	623	245	174	88	42	1172	623	245	174	88	42	1172
49	पिण्डवाड़ा	138	40	102	42	21	343	138	40	101	42	21	342
50	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	151	148	48	666
51	रायला	257	50	0	0	0	307	257	50	0	0	0	307
52	राजसमन्द	407	313	337	161	71	1289	407	313	337	161	71	1289
53	रामगंज मण्डी	418	133	52	62	14	679	347	133	52	58	14	604
54	श्रीगंगानगर	701	224	302	33	0	1260	701	224	302	33	0	1260
55	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268
56	सागवाड़ा	201	754	85	30	16	1086	201	750	85	30	15	1081
57	सलूम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287
58	सीकर	385	322	346	138	62	1253	385	322	346	138	62	1253
59	सिरोही	179	281	95	99	22	676	179	281	95	99	22	676
60	सिवाना	151	52	15	10	0	228	151	52	15	10	0	228
61	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	43	4	154
62	सुनैल	134	110	66	39	64	413	134	110	66	39	64	413
63	सूरतगढ़	669	243	238	218	137	1505	669	242	238	218	137	1504
64	टोंक	940	271	114	68	54	1447	940	271	114	68	54	1447
65	उदयपुर	3049	2977	1749	1346	748	9869	3049	2977	1749	1346	748	9869
	योग	81212	69531	41759	35666	22141	250309	81084	68124	41360	35295	21701	247727

तालिका II (b)
शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2017 तक)

क्र.सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	511	569	303	151	23	1557	359	453	241	114	16	1183
2	अजमेर	1681	1149	984	827	350	4991	1664	1122	947	823	348	4904
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	55	0	0	0	0	55
4	अलवर	2617	1826	1682	996	374	7495	2572	1776	1638	978	371	7335
5	अटरू	281	101	25	8	2	417	243	98	22	6	2	371
6	बालोतरा	408	340	211	206	27	1192	387	320	195	205	24	1131
7	बांसवाड़ा	1174	988	373	259	60	2854	1171	981	373	258	58	2841
8	बारां	626	164	62	7	0	859	532	106	51	2	0	691
9	अन्ता	63	91	32	4	8	198	52	86	29	3	5	175
10	बडी सादडी	122	66	5	0	0	193	70	43	1	0	0	114
11	व्यावर	855	519	384	419	146	2323	797	467	367	354	142	2127
12	भरतपुर	355	452	315	120	38	1280	355	452	313	120	32	1272
13	भवानी मण्डी	125	27	25	0	0	177	115	26	24	0	0	165
14	भीलवाड़ा	2854	2602	750	731	487	7424	2593	2380	610	720	481	6784
15	भीण्डर	46	25	6	2	2	81	46	18	4	0	0	68
16	भिवाडी	2152	1380	954	549	858	5893	1754	1144	748	510	810	4966
17	बीकानेर	1861	1751	1196	1193	443	6444	1708	1696	1178	1143	407	6132
18	बाड़मेर	266	124	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	9	7	0	0	0	16
20	छबड़ा	243	246	55	19	16	579	118	137	16	9	6	286
21	छीपा बड़ौद	199	0	0	0	0	199	4	0	0	0	0	4
22	चित्तौड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	892	501	358	148	106	2005
23	चूरु	370	288	79	48	41	826	369	287	48	36	18	758
24	दौसा	622	358	245	66	84	1375	585	333	219	46	70	1253
25	धौलपुर	421	378	255	227	17	1298	243	183	215	207	14	862
26	डूंगरपुर	406	809	763	207	78	2263	399	806	759	207	78	2249
27	गुलाबपुरा	158	175	133	24	7	497	158	166	121	24	7	476
28	हनुमानगढ़	1323	1062	557	750	357	4049	765	785	447	687	263	2947
29	जयपुर	21718	23389	15444	16798	12134	89483	21282	20363	14520	16211	11612	83988
30	जैसलमेर	224	93	142	21	22	502	221	93	69	20	16	419
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	157	45	0	0	0	202
32	झालावाड़	166	231	93	29	6	525	158	217	79	28	6	488
33	झुंझूनी	708	653	163	233	46	1803	708	653	163	233	46	1803
34	जोधपुर	12548	10378	4903	3854	2576	34259	10655	9089	4390	3661	2401	30196
35	किशनगढ़	977	423	273	180	81	1934	738	301	198	132	52	1421

क्र.सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
36	कोटा	8287	6294	3950	3357	1566	23454	8274	6286	3935	3333	1561	23389
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	502	379	220	86	12	1199
38	कोटपुतली	299	252	155	101	68	875	289	246	133	81	39	788
39	लाखेरी	231	102	41	12	7	393	14	10	0	0	0	24
40	मांगरोल	148	44	6	0	0	198	1	1	0	0	0	2
41	नागौर	1417	844	469	150	21	2901	1217	581	198	113	18	2127
42	नैनवा	125	179	42	14	9	369	100	126	0	0	0	226
43	नसीराबाद	434	303	119	95	61	1012	394	284	114	67	58	917
44	नाथद्वारा	11	104	61	53	2	231	11	104	61	43	2	221
45	निम्बाहेड़ा	363	363	242	97	81	1146	357	334	202	88	78	1059
46	पाली	1205	661	363	260	55	2544	1205	660	363	260	49	2537
47	परतापुर	274	346	108	47	12	787	198	298	89	42	11	638
48	फलौदी	620	244	173	87	42	1166	584	226	164	85	39	1098
49	पिण्डवाड़ा	138	39	100	40	21	338	123	31	85	40	21	300
50	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	153	165	148	147	46	659
51	रायला	256	45	0	0	0	301	183	15	0	0	0	198
52	राजसमन्द	407	313	319	147	70	1256	407	312	266	143	70	1198
53	रामगंज मण्डी	418	132	52	57	14	673	267	123	45	44	12	491
54	श्रीगंगानगर	701	224	302	33	0	1260	701	224	300	33	0	1258
55	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	286	360	394	194	33	1267
56	सागवाड़ा	201	750	85	30	15	1081	156	705	68	7	0	936
57	सलूमबर	124	93	44	20	6	287	122	91	42	16	5	276
58	सीकर	385	322	345	136	61	1249	383	321	342	135	61	1242
59	सिरोही	179	281	95	99	21	675	175	280	95	98	19	667
60	सिवाना	10	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	5
61	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	47	43	37	4	146
62	सुनैल	129	100	66	39	64	398	123	86	61	28	61	359
63	सूरतगढ़	669	242	238	213	133	1495	661	242	238	208	127	1476
64	टोंक	933	270	113	68	51	1435	933	270	113	68	50	1434
65	उदयपुर	3048	2974	1741	1344	747	9854	3047	2964	1689	1342	744	9786
	योग	79621	67789	40814	35053	21632	244909	72820	60905	37751	33623	20511	225610

तालिका III (a)
नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2017 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	38204	32394	17695	13409	5357	107059
1990-91	626	996	703	1123	633	4081
1991-92	1336	3466	2381	1708	1319	10210
1992-93	1190	1263	137	1409	1290	5289
1993-94	1068	815	2251	3165	1893	9192
1994-95	523	914	528	684	503	3152
1995-96	574	1315	826	398	374	3487
1996-97	900	802	389	654	344	3089
1997-98	2783	2553	1583	1751	425	9095
1998-99	740	716	362	568	192	2578
1999-00	368	218	106	95	47	834
2000-01	959	416	117	576	375	2443
2001-02	3257	484	107	326	480	4654
2002-03	592	516	224	415	687	2434
2003-04	1030	868	163	29	274	2364
2004-05	1912	1411	432	397	886	5038
2005-06	2863	1065	487	333	404	5152
2006-07	2086	3727	630	514	614	7571
2007-08	3146	1927	1229	1398	1822	9522
2008-09	2277	1489	1047	1004	953	6770
2009-10	2806	2377	2395	1073	610	9261
2010-11	1300	530	656	463	32	2981
2011-12	1346	1090	1436	810	548	5230
2012-13	3027	2681	2543	1273	578	10102
2013-14	3149	1840	1248	1084	684	8005
2014-15	2317	2271	1199	890	546	7223
2015-16	826	1380	883	113	248	3450
2016.17	7	7	2	4	23	43
2017-18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	0	0	0	0	0	0
योग	81212	69531	41759	35666	22141	250309

तालिका III (b)

आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2017 तक)

वर्ष	आ.दृ.क . वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	35038	28295	15621	11002	3779	93735
1990-91	1961	1961	795	1295	765	6777
1991-92	1004	2678	1762	1567	1033	8044
1992-93	1574	3392	1492	1771	1635	9864
1993-94	1744	1727	1569	1999	1824	8863
1994-95	754	841	1323	2227	1099	6244
1995-96	889	724	675	832	498	3618
1996-97	663	627	708	575	526	3099
1997-98	1782	1948	1127	1723	503	7083
1998-99	1963	1452	1151	921	359	5846
1999-00	750	832	453	777	280	3092
2000-01	706	845	259	470	285	2565
2001-02	1143	778	140	351	368	2780
2002-03	2768	659	213	462	806	4908
2003-04	567	91	130	142	106	1036
2004-05	913	837	116	287	608	2761
2005-06	3183	1646	419	378	586	6212
2006-07	1785	960	623	298	372	4038
2007-08	2233	953	588	749	1336	5859
2008-09	2549	1820	1106	1199	1225	7899
2009-10	2403	1742	945	532	388	6010
2010-11	2057	2385	1874	1007	585	7908
2011-12	1976	921	1234	770	536	5437
2012-13	1406	892	1168	701	544	4711
2013-14	1611	1449	1580	1145	522	6307
2014-15	3699	3326	2189	663	390	10267
2015-16	1543	1414	983	1057	594	5591
2016-17	1874	2769	1258	323	147	6371
2017-18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	546	160	22	72	2	802
योग	81084	68124	41523	35295	21701	247727

तालिका III (c)
आवासों का आवंटन (आय वर्गवार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2017 तक)

वर्ष	आ.दृ.क वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	34929	27792	15256	11067	3524	92568
1990-91	748	1407	856	1081	691	4783
1991-92	1360	3159	1887	1943	1160	9509
1992-93	922	1756	1082	1423	1354	6537
1993-94	1904	2508	2136	2308	1799	10655
1994-95	335	594	435	928	485	2777
1995-96	1394	1206	388	839	591	4418
1996-97	781	476	566	193	440	2456
1997-98	1167	957	631	530	223	3508
1998-99	1820	680	1058	992	481	5031
1999-00	1800	1439	551	1180	560	5530
2000-01	742	1539	596	753	380	4010
2001-02	922	759	392	635	514	3222
2002-03	825	693	245	335	505	2603
2003-04	2902	595	215	596	215	4523
2004-05	889	870	526	954	655	3894
2005-06	2912	2281	531	590	821	7135
2006-07	2053	1170	746	407	483	4859
2007-08	3331	1550	963	951	1491	8286
2008-09	2068	1952	1078	724	1051	6873
2009-10	2021	1362	1423	1136	900	6842
2010-11	2497	2666	2067	972	695	8897
2011-12	2714	1313	1611	1141	706	7485
2012-13	894	728	1127	857	427	4033
2013-14	3160	2825	1847	843	424	9099
2014-15	2047	2366	1025	808	437	6683
2015-16	1658	2732	1328	712	495	6925
2016-17	805	398	214	141	124	1682
2017-18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	21	16	34	14	1	86
योग	79621	67789	40814	35053	21632	244909

तालिका III (d)
आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2017 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	31323	25700	12717	8825	3065	81630
1990-91	1050	1277	1410	1333	459	5529
1991-92	1986	2030	1598	1462	540	7616
1992-93	1198	1556	1195	1377	766	6092
1993-94	220	582	1167	1076	933	3978
1994-95	264	756	760	1501	1143	4424
1995-96	1854	1733	966	1141	1036	6730
1996-97	1727	1384	891	1095	788	5885
1997-98	1356	1031	723	790	471	4371
1998-99	684	809	563	431	335	2822
1999-00	1253	834	628	819	450	3984
2000-01	1147	1542	872	1586	728	5875
2001-02	1253	1403	739	866	616	4877
2002-03	1143	980	451	550	682	3806
2003-04	2857	1488	543	778	335	6001
2004-05	2321	1719	658	868	360	5926
2005-06	1332	1303	652	963	791	5041
2006-07	3111	2449	712	546	557	7375
2007-08	1484	840	710	692	791	4517
2008-09	2496	1025	829	600	969	5919
2009-10	1417	1090	745	535	674	4461
2010-11	1568	1057	885	763	912	5185
2011-12	2119	2458	1673	1225	891	8366
2012-13	1841	1180	1411	985	686	6103
2013-14	1938	935	911	720	495	4999
2014-15	1416	1354	1315	725	348	5158
2015-16	1637	1690	1021	480	299	5127
2016-17	619	485	621	521	320	2566
2017-18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	206	215	385	370	71	1247
योग	72820	60905	37751	33623	20511	225610

तालिका IV (a)

धारा-27 व 4(1) के प्रस्ताव भेजे जाने पर राज्य सरकार द्वारा नवीन अधिनियम के तहत प्रस्ताव चाहे जाने के कारण मण्डल स्तर पर धारा-11(1) के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची

दिनांक 31.12.2017 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हेक्टेयर)
1	ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर	674.97
2	ग्राम खोनागोरियान / भावगढ बन्धा त0 सांगानेर जिला जयपुर	72.02
3	ग्राम उदयपुर गिलरिया एवं टोडी रमजानीपुरा, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	108.64
4	हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा	22.88
5.	ग्राम नान्दडा कलां, उचियारडा, बासनीनिकुम्बा, जालेली फौजदारान एवं सोढेर की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर	851.76
6.	ग्राम मोगडाकला, तनावडा एवं भांकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर	465.04
7	पाली	125.85
8	ग्राम कोहला, हनुमानगढ	107.525
9	ग्राम छत्रपुरा-बूंदी, जिला बूंदी	74.22
10	सैंती, जिला चित्तौडगढ	20.21
11	ग्राम ढोली बासनी, सिलावटान, जोधपुर	728.48
12	रेनवाल, फेज-द्वितीय	894.18
13	फागी, जिला जयपुर	142.02
14	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर छूटे हुये खसरा नं.	6.44
15	महला-चाणचुक्या, जयपुर	175.13
16	ग्राम थडा, तहसील तिजारा (भिवाडी)	50.56
17	ग्राम नैनसुख बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर	46.44
18	शंकरपुरा, तहसील राजसमन्द	162.45
19	बहरोड उर्फ बलराम, तहसील बहरोड	55.01
20	ग्राम नीम का थाना, जिला सीकर	47.51
21	सुवाण, तहसील व जिला भीलवाडा	6.53
	योग	4837.865

तालिका IV (b)

राज्य सरकार के स्तर पर धारा-11(1) के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची

दिनांक 31.12. 2017 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हेक्टेयर)
1	ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, शाहपुरा, जयपुर	142.8687
2.	ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर	116.51
योग		259.3787

तालिका IV (c)

विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण

दिनांक 31.12. 2017 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हेक्टेयर)
1.	पाली चक नं. 1	17.59
2	गोपालपुरा, तहसील व जिला बारां	14.63
3	चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	11.69
5	डांगवासा, मेडतासिटी, जिला नागौर	26.33
6	देवाली गोवर्धन विलास, उदयपुर	21.75
योग		91.99

तालिका V

पुरस्कार

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल सूची

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
1982	सर एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	वर्ष 1982 में जोधपुर में 398 आवासों के निर्माण हेतु
	(अ) द्वितीय पुरस्कार		
	(ब) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में अलवर में 402 आवासों के निर्माण हेतु
	(स) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में कोटा में 426 आवासों के निर्माण हेतु
1983	वार्षिक रोटेशनल ट्राफी	हुडको	जोधपुर की मधुवन एवं चौपासनी रोड फेज-7 योजना के लिये बेहतर साईट्स एवं सेवाओं के लिये
1985	सर एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मानसरोवर योजना, जयपुर में 385 आवासों के निर्माण के लिये
	प्रथम पुरस्कार		
1992	कम लागत के आवास प्रतियोगिता (शहरी)	हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मधुवन स्कीम जोधपुर में अल्प आय वर्ग आवासों के निर्माण के लिये
1994	प्रशंसा-उत्कृष्ट कार्य सम्पादन	हुडको	आवासन मण्डल की स्थापना से किये गये उत्कृष्ट कार्य सम्पादन के लिये (1970-93)
1994	प्रशंसा-अतिविशिष्ट कार्य सम्पादन	हुडको	हुडको से आवासन मण्डल के लगातार जुड़ाव एवं अतिविशिष्ट कार्य सम्पादन के लिये
2010	इंडिया प्राईड अवार्ड-2010	एस. कुमार नेशनवाइड लि. (सामूहिक प्रायोजक: दैनिक भास्कर एवं DNA समूह)	गरीब तबके की सुविधाओं हेतु नवाचार एवं उच्च गुणवत्ता के आवास निर्माण के लिये
2011	विश्वकर्मा अवार्ड-2011	सी.आई.डीसी, नई दिल्ली	समाजिक दायित्व की श्रेणी में उदाहरणीय सेवाओं एवं नवाचारों के लिये
2013	आईएसओ प्रमाण पत्र 9001-2008	ए.सी.एस प्रा.लि.	प्रबन्धकीय कार्य गुणवत्ता हेतु ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र
2014	मास हाउसिंग-पब्लिक	नेशनल रियल इस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	मास हाउसिंग क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु
2016	NAREDCO's scroll of honor	नेशनल रियल इस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	Best Development Authority (State)

तालिका VI
स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण
Regular Employees

Up to 31-12-2017

S.NO.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	on Dep.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	REGULAR EMPLOYEE						
1	CHAIRMAN	1	1	0	0	0	
2	H.COMMISSIONER	1	1	0	0	0	
3	CHIEF ENGINEER	3	2	1	0	0	
4	SECRETARY	1	1	0	0	0	
5	F.A.& C.A.O.	1	1	0	0	0	
6	DIRECTOR LAW	1	0	1	0	0	
7	ADDL. C. E.	4	3	1	0	0	
8	A.C.T.P.	1	0	1	0	0	
9	C.E.M.	1	1	0	0	0	
10	SR.TOWN PLANNER DY.H.C.	1	1	0	0	0	
11		14	4	10	0	1	1 UIT KOTA
12	DY. SECRETARY	1	0	1	0	0	
13	SR.P.M. Dy. FINANCE ADVISOR	1	1	0	0	0	
14		2	1	1	0	0	1 Deputation
15	SR.ACCOUNTS OFFICER RESIDENT ENGINEER	4	2	2	0	0	
16		61	18	43	0	3	1RUDSICO, 1 UIT Kota , 1 Deputation RSRDC
17	PRIVATE SECRETARY	6	6	0	0	0	
18	O.S.D.	1	0	1	0	0	
19	DY.TOWN PLANNER	1	0	1	0	0	
20	JOINT DIRECTOR (S.A.)	1	1	0	0	0	
21	A.O.	15	9	6	0	0	
22	ASSTT. ARCHI. / A.T.P.	5	4	1	0	0	
23	ESTATE MANAGER	2	1	1	0	0	
24	EM/PM/AS	8	7	1	0	0	
25	A.L.R.	1	0	1	0	0	
26	PROJECT ENGINEER (SR)	377	208	169	0	11	RUDSICO- 06,Nagar Nigam1, RSRDC 1, N P Ajmer 1
27	A.A.O.GR-1	26	20	6	0	0	
28	A.H.O.	18	17	1	0	0	
29	Sr. L.O.	4	1	3	0	0	1 Deputation
30	L.A.O. / TEHSILDAR	2	1	1	0	0	
31	Add. P.S.	8	8	0	0	0	
32	PROGRAMMER	2	0	2	0	0	
33	Dy. Director (P.R.)	1	1	0	0	0	
34	Asst. Account Officer- Grade-II	64	45	19	0	0	
35	ARCHI. ASSTT. / T.P.A.	8	7	1	0	0	
36	ASSTT.LAO	2	0	2	0	0	Deputation post
37	OFFICE SUPERINTENDENT	33	28	5	0	0	
38	P.A.	35	25	10	0	0	
39	ASSISTANT ST.ASSTT.	90	64	26	0	0	
40		1	1	0	0	0	1 Deputation
41	GARDEN INSPECTOR	1	1	0	0	0	
42	JR. ACCOUNTANT	202	36	166	0	2	RUDSICO
43	LAND INSPECTOR	1	0	1	0	0	
44	LEGAL ASSISTANT/ Jr. L.O.	12	1	11	0	0	1 Deputation Deputation post
45	PROJECT ENGINEER (JR)	20	3	17	0	0	
46	SR. DM	15	13	2	0	0	
47	JR. DM	21	11	10	0	0	
48	PLUMBER GR-I	1	0	1	0	0	
49	ASSTT. PROGMMER DEO / INFORMATION ASSTT.	13	3	10	0	0	
50		24	2	22	0	0	2 Deputation
51	LAB. ASSTT.	2	0	2	0	0	
52	DRIVER	12	6	6	0	0	
53	JR.ASSISTANT	270	200	70	0	3	RUDSICO
54	TELEPHONE OPR.	2	0	2	0	0	
55	TRACER	7	0	7	0	0	
56	FERO PRINTER	1	1	0	0	0	
57	F. CUM R/KEEPER	2	1	1	0	0	
58	GARDENER	1	0	1	0	0	
59	MACHINE MAN	2	2	0	0	0	
60	JAMADAR	11	9	2	0	0	
61	HELPER	227	179	48	0	0	RUDSICO
62	SWEEPER	12	12	0	0	0	
	TOTAL	1668	971	697	0	0	

राजस्थान आवासन मण्डल

Sanctioned/ Existing Posts And Vacant Posts Work Charge Staff (Regularised)

Up to 31-12-2017

S.No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	On Dep.	Remarks
1	SUPERVISIOR(Sr.)	62	4	0	0		
2	SUPERVISIOR	115	61	0	0		
3	SUPERVISIOR(Jr.)	162	52	0	0		
4	FITTER	27	9	0	0		
5	ELECTRICIAN	30	14	0	0		
6	CARPENTER	15	4	0	0		
7	MASSON	31	13	0	0		
8	GARDNER	12	6	0	0		
9	CHOKIDAR	31	11	0	0		
10	HELPER GARDNER	15	0	0	0		
11	SWEEPER	28	13	0	0		
12	HELPER SKILLED	70	26	0	0		
13	HELPER UN- SKILLED	155	113	0	0		
	TOTAL POST	753	326	0	0	0	

तालिका VII
मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल सूची

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
1	श्री श्रीचन्द कृपलानी	अध्यक्ष	chairman.rhb@rajasthan.gov.in
2	श्री डा0 के.बी.गुप्ता	आवासन आयुक्त	hc.rhb@rajasthan.gov.in
3	श्री अनिल कुमार कौशिक	सचिव	secy.rhb@rajasthan.gov.in
4	श्री के.सी. मीणा (अति. प्रभार)	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	cehq.rhb@rajasthan.gov.in
5	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता (प्रथम)	ce1.rhb@rajasthan.gov.in
6	श्री जी.एस. बाघेला	मुख्य अभियन्ता (द्वितीय)	Ce2.rhb@rajasthan.gov.in
7	श्रीमति रेखा भास्कर	वित्तीय सलाहकार	facao.rhb@rajasthan.gov.in
8	श्री आई.एम.दानौदिया	उप वित्तीय सलाहकार	dy fa.rhb@rajasthan .gov.in
9	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि)	dirlaw.rhb@rajasthan.gov.in
10	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम	ace1.rhb@rajasthan.gov.in
11	श्री के. के. माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	ace2.rhb@rajasthan.gov.in
12	श्री ए.के.रावत (अति. प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय	ace3.rhb@rajasthan.gov.in
13	श्री सलामत अली	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान अवसायन समिति	ace-avslc.rhb@rajasthan.gov.in
14	श्री एस.एल.सेठी	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	actp.rhb@rajasthan.gov.in
15	श्रीमति रजनी सी. सिंह	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	cem.rhb@rajasthan.gov.in
16	श्री	तकनीकी सहायक, अध्यक्ष	ta2cm.rhb@rajasthan.gov.in
17	श्री अनिल सक्सेना	तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त	ta2hc.rhb@rajasthan.gov.in
18	श्री	तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता	ta2ce.rhb@rajasthan.gov.in
19	श्री अनिल कुमार रावत	उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण)	dhcqc.rhb@rajasthan.gov.in
20	श्री अनिल कौशिक	उप सचिव	dysecy.rhb@rajasthan.gov.in
21	श्री संदीप गर्ग	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण-प्रथम जयपुर	rejprqc1.rhb@rajasthan.gov.in
22	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण-II जयपुर	rejprqc2.rhb@rajasthan.gov.in
23	श्री जगराम कुलडिया (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता (मुख्यालय)	replan.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
24	श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक (System Anaylist)	jdsa.rhb@rajasthan.gov.in
25	श्री मृणाल जोशी	वरिष्ठ नगर नियोजक	dtp.rhb@rajasthan.gov.in
26	श्री अशोक गुप्ता	आवासीय अभियन्ता (विद्युत)	reelect.rhb@rajasthan.gov.in
27		सम्पदा प्रबन्धक (रिकॉर्ड)	centrecords.rhb@rajasthan.gov.in
28	श्री अनिल कुमार कौशिक (अति. प्रभार)	विशेषाधिकारी (भूमि)	osdland.rhb@rajasthan.gov.in
29	श्री जी.डी.मंगलानी (अति. प्रभार)	वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम	sao1.rhb@rajasthan.gov.in
30	श्री एम.के ठोलियाँ	वरिष्ठ लेखाधिकारी-द्वितीय	sao2.rhb@rajasthan.gov.in
31	श्री वी.पी. कालरा	वरिष्ठ लेखाधिकारी (पी.एफ. व पेन्शन)	sraogpf.rhb@rajasthan.gov.in
32	श्री अरुण जोशी	सहायक निदेशक जनसम्पर्क	pro.rhb@rajasthan.gov.in
33	श्री आर.एस. निर्वाण	निजी सचिव, अध्यक्ष	ps2cm.rhb@rajasthan.gov.in
34	श्री	निजी सचिव, आवासन आयुक्त	ps2hc.rhb@rajasthan.gov.in
35	श्री जे.के गंगवाल	लेखाधिकारी (भुगतान)	aopayment.rhb@rajasthan.gov.in
36	श्री घनश्याम शर्मा	सहायक लेखाधिकारी (स्टोर)	centstores.rhb@rajasthan.gov.in
37	श्री अरुण शर्मा	अति. निजी सचिव- आवासन आयुक्त	pa2hc.rhb@rajasthan.gov.in
38	श्री गुलाबा राम मोची	तकनीकी सहायक अति. मु. अभि.-प्रथम जयपुर	ta2ace1.rhb@rajasthan.gov.in
39	श्री आर. सी. रायल	तकनीकी सहायक अति. मु. अभि.-द्वितीय जोधपुर	ta2ace2.rhb@rajasthan.gov.in
40	श्री टी.एस. मीणा	तकनीकी सहायक अति. मु. अभि.-तृतीय जयपुर	ta2ace3.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त- प्रथम			
41	श्री कल्याण प्रसाद	उप आवासन आयुक्त	dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in
42	श्री आर.डी. गुप्ता	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in
43	श्री ऐ. के. मल्होत्रा (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-III	rejpr3.rhb@rajasthan.gov.in
44	श्री मोहन लाल गुप्ता	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IV	rejpr4.rhb@rajasthan.gov.in
45	श्री अमित अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-V	rejpr5.rhb@rajasthan.gov.in
46	श्री एम.एस.हाडा (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-X	rejpr10.rhb@rajasthan.gov.in
47	श्री हनुमार सिंह बरफा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XII	rejpr12.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
जयपुर वृत्त- द्वितीय			
48	श्री सीता राम बरी	उप आवासन आयुक्त-II	dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in
49	श्री आर. एस. दुहान	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in
50	श्री विजय अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-VI	rejpr6.rhb@rajasthan.gov.in
51	श्री चन्द्र भान चुग	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IX	rejpr9.rhb@rajasthan.gov.in
52	श्री ऋषि कुमार शर्मा	पी.एच.ई.-I	rejprphe1.rhb@rajasthan.gov.in
53	श्री जी.एस.देवल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-अजमेर	reajmer.rhb@rajasthan.gov.in
54	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता खण्ड-झुंझुनू	rejhunjhunu.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त- तृतीय			
55	श्री ए.के.रावत	उप आवासन आयुक्त	dhcjpr3.rhb@rajasthan.gov.in
56	श्री एस. एन. द्विवेदी	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr3.rhb@rajasthan.gov.in
57	श्री डी.एस.गुप्ता	आवासीय अभियन्ता खण्ड-I	rejpr1.rhb@rajasthan.gov.in
58	श्री जे. एस. बुगालिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड-II	rejpr2.rhb@rajasthan.gov.in
59	श्री मनीराम बडगुर्जर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XI	rejpr11.rhb@rajasthan.gov.in
60	श्री के.एल.निनानिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XIII	rejpr13.rhb@rajasthan.gov.in
61	श्री हरिकृष्ण अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई.-द्वितीय	rejprphe2.rhb@rajasthan.gov.in
62	श्री सर्वजीत सिंह	आवासीय अभियन्ता खण्ड-दौसा	redausa.rhb@rajasthan.gov.in
अलवर वृत्त			
63	श्री ईश्वर रंगनानी	उप आवासन आयुक्त	dhcalwar.rhb@rajasthan.gov.in
64	श्री भगवान सहाय	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcalwar.rhb@rajasthan.gov.in
65	श्री जे.एस. महावर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-अलवर	realwar.rhb@rajasthan.gov.in
66	श्री के.सी.ढाका	आवासीय अभियन्ता खण्ड-भिवाडी	rebwd.rhb@rajasthan.gov.in
67	श्री ओ.पी बैरवा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-भरतपुर	rebharatpur.rhb@rajasthan.gov.in
बीकानेर वृत्त			
68	श्री एम. सी. उपाध्याय	उप आवासन आयुक्त	dhcbikaner.rhb@rajasthan.gov.in
69	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcbikaner.rhb@rajasthan.gov.in
70	श्री राज सिंह	आवासीय अभियन्ता खण्ड-बीकानेर	rebkn1.rhb@rajasthan.gov.in
71	श्री के. एस. चौधरी	आवासीय अभियन्ता खण्ड-नागौर	rebkn2.rhb@rajasthan.gov.in
72	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता खण्ड, हनमानगढ़	rehanumangarh.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
जोधपुर वृत्त- प्रथम			
73	श्री के.एस. चौधरी	उप आवासन आयुक्त-I	dhcjodhpur1.rhb@rajasthan.gov.in
74	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त-I	ta2dhcjodhpur1.rhb@rajasthan.gov.in
75	श्री नरेन्द्र बोहरा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-II	rejdpr2.rhb@rajasthan.gov.in
76	श्री एल.एल.गुरु (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-III	rejdpr3.rhb@rajasthan.gov.in
77	श्री एल. एल. गुरु	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IV	rejdpr4.rhb@rajasthan.gov.in
78	श्री ऋषि कुमार शर्मा	आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई	rejdprphe.rhb@rajasthan.gov.in
79	श्री भजन लाल गुणपाल	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण	rejdprqc.rhb@rajasthan.gov.in
जोधपुर वृत्त- द्वितीय			
80	श्री नरेन्द्र बोहरा (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त-II	dhcjdr2.rhb@rajasthan.gov.in
81	श्री.	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjdr2.rhb@rajasthan.gov.in
82	श्री सी. आर. दीपन	आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम	rejdpr1.rhb@rajasthan.gov.in
83	श्री के.एन.माथुर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-पाली	repali.rhb@rajasthan.gov.in
84	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता खण्ड-बाडमेर	rejaisalmer.rhb@rajasthan.gov.in
कोटा वृत्त			
85	श्री मनमोहन सिंह (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhckota.rhb@rajasthan.gov.in
86	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhckota.rhb@rajasthan.gov.in
87	श्री मनमोहन सिंह	आवासीय अभियन्ता-कोटा	rekota.rhb@rajasthan.gov.in
88	श्री आर. पी. गुप्ता (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता-बारां	rebaran.rhb@rajasthan.gov.in
उदयपुर वृत्त			
89	श्री आर.सी. जैन	उप आवासन आयुक्त	dhcudpr.rhb@rajasthan.gov.in
90	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcudpr.rhb@rajasthan.gov.in
91	श्री सुनील नारायण माथुर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम	reudpr1.rhb@rajasthan.gov.in
92	श्री जी.एस. भाटी	आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय	reudpr2.rhb@rajasthan.gov.in
93	श्री राजेन्द्र सिंह (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-भीलवाड़ा	rebhilwara.rhb@rajasthan.gov.in
94	श्री गजानन्द सामरिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड-चित्तौड़गढ़	rechittorgarh.rhb@rajasthan.gov.in
95	श्री पी.के. दुग्गल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-डूंगरपुर	redungarpur.rhb@rajasthan.gov.in

तालिका VIII


राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कांफ्रेंसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाइल नम्बर			कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.		
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
1	अजमेर	श्री जी.एस.देवल	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-अजमेर	99839-93897	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर वैशाली नगर, अजमेर	141-2641894
2	अलवर	श्री ईश्वर रंगानी	उप आवासन आयुक्त	वृत्त -अलवर	96729-80512	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, मनु मार्ग, बस स्टैण्ड के पास प्रताप नगर कॉलोनी सीईबी, अलवर	0144-2332612
3	बांसवाड़ा	श्री पी.के. दुग्गल	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-डूंगरपुर	99839-93892	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-डूंगरपुर शिवाजी नगर, डूंगरपुर	02964-232288
4	बारां	श्री आर.पी. गुप्ता	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बारां	99839-93883	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-बारां वन विभाग के सामने बारां	
5	बाड़मेर	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बाड़मेर	99826-09494	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-बाड़मेर खण्ड-जैसलमेर जेटवाई रोड किशन घाट, जैसलमेर	02992-254820
6	भरतपुर	श्री ओ.पी. बैरवा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भरतपुर	99825-51606	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भरतपुर, 2-ए-1, एसटीडी कॉलोनी, भरतपुर	05644-223672
7	भीलवाड़ा	श्री राजेन्द्र सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भीलवाड़ा	99839-93853	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भीलवाड़ा, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा	01462-220312
8	बीकानेर	श्री एम. सी. उपाध्याय	उप आवासन आयुक्त	वृत्त बीकानेर	99826-09496	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-4 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151-2226971
9	बूंदी	श्री एम. एम. सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कोटा	99821-09478	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोटा नगर विकास न्सास के पीछे, सी.एडी, सर्किल, कोटा	0744-2500911
10	चित्तौड़गढ़	श्री गजानन्द सामरिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चित्तौड़गढ़	99839-93847	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-चित्तौड़गढ़ 1-बी-48-49, सन्ती सागवा, चित्तौड़गढ़	01472-241163

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाइल नम्बर				कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.	
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
11	चुरू	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99833-09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू 2/3-4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड़, झुंझुनू	01592-232319
12	दौसा	श्री सर्वजीत सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-दौसा	99833-35573	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-दौसा 1/68 खानमाकरी रोड़, दौसा	01427-223875
13	धौलपुर	श्री ओ.पी. बैरवा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भरतपुर	98285-51606	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भरतपुर, 2-ए-1, एसटीडी कॉलोनी, भरतपुर	05644-223672
14	झुंझुनू	श्री पी.के. दुग्गल	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99839-93892	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू शिवाजी नगर, झुंझुनू	02964-232288
15	हनुमानगढ़	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-हनुमानगढ़	98281-09465	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हनुमानगढ़, 9/58-59, हनुमानगढ़	01552-244318
16	जयपुर	श्री कल्याण प्रसाद	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-जयपुर प्रथम	98281-09455	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-5 प्रताप प्लॉज, टॉक रोड़, जयपुर	0141-29791320
17	जैसलमेर	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बाडमेर	99826-09494	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-जैसलमेर जेठवाई रोड़ किशन घाट, जैसलमेर	02992-254820
18	जालौर	आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है।					
19	झालवाड़	श्री एम. सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कोटा	98281-09478	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोटा नगर विकास न्यास के पीछे, सी.एडी, सर्किल, कोटा	0744-2500911
20	झुंझुनू	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99833-09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू 2/3-4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड़, झुंझुनू	01592-232319
21	जोधपुर	श्री के.एस. चौधरी	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-जोधपुर प्रथम	98281-09429	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	0291-2700874
22	करौली	आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है।					

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाइल नम्बर				कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.	
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
23	कोटा	श्री एम. एम. सिंह	उप आवासन आयुक्त	वृत्त कोटा	98281-09478	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, नगर विकास न्सास के पीछे, सी.एडि, सर्किल, कोटा	0744-2500721
24	नागौर	श्री के. एस. चौधरी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-नागौर	98833-09407	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय बीकानेर मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151-2226973
25	पाली	श्री के.एन.माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-पाली	98839-93853	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-पाली, जोधपुर रोड़, पाली	02932-256371
26	प्रतापगढ़	श्री गजानन्द सामरिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चित्तौड़गढ़	98839-93847	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-चित्तौड़गढ़ 1-बी-48-49, सन्ती सागवा, चित्तौड़गढ़	01472-241163
27	राजसमन्द	श्री जी.आर.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-उदयपुर द्वितीय		कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय उदयपुर सैक्टर-11 हिरण मगरी, उदयपुर	0294-2583108
28	सवाई माधोपुर	श्री सर्वजीत सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-दौसा	98833-35573	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-दौसा 1/68 खानमाकरी रोड़, दौसा	01427-223875
29	सीकर	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	98833-09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू 2/3-4 पुरानी कॉलोनी, बुरु रोड़, झुंझुनू	01592-232319
30	सिरोही	श्री के.एन.माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-पाली	98839-93853	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-पाली, जोधपुर रोड़, पाली	02932-256371
31	श्रीगंगानगर	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-हनुमानगढ़	98281-09465	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हनुमानगढ़, 9/58-59, हनुमानगढ़	01552-244318
32	टोंक	श्री के.एल.निनाणिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-जयपुर तेरह	98281-03904	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-XIII सैक्टर-4 इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर	0141-2174831
33	उदयपुर	श्री आर.सी.जैन	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-उदयपुर	98281-27727	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-11 सलूम्बर सर्किल, हिरण मगरी, उदयपुर	0294-2583327

तालिका IX प्रशासनिक ढांचा



क्षेत्रीय इकाई ढांचा
राजस्थान में मण्डल का कार्य क्षेत्र 9 वृत्त एवं 37 खण्ड कार्यालयों में विभाजित किया हुआ है। जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियन्ताओं के अध्यक्षीन व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

तालिका X

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

'अध्यक्ष'				'आवासन आयुक्त'			
	नाम	कब से	कब तक		नाम	कब से	कब तक
श्री	डी.डी. पुरोहित	24-Feb-1970	31-Mar-1978	श्री	के.के. सरीन	4-Jul-1970	22-Aug-1975
श्री	जी.आर. हुकमानी	1-Apr-1978	6-Mar-1980	श्री	जे.एम. मल्होत्रा	23-Aug-1975	22-Dec-1976
श्री	के.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.)	7-Mar-1980	27-Mar-1980	श्री	के.सी. मिस्तल	22-Dec-1976	30-Jun-1978
श्री	आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.)	28-Mar-1980	5-Jan-1981	श्री	आर.सी. पंचारिया	1-Jul-1978	15-Dec-1978
श्री	आई.जी. झिंगरन (आइ.ए.एस.)	6-Jan-1981	12-Mar-1981	श्री	अखयराज	16-Dec-1978	5-Jun-1979
श्री	ए.एल. रूंगटा (आइ.ए.एस.)	13-Mar-1981	1-May-1981	श्री	जे.एम. मल्होत्रा	5-Jun-1979	15-Sep-1979
श्री	मायाराम (आइ.ए.एस.)	2-May-1981	9-Jun-1981	श्री	आर. सी. पंचारिया	15-Sep-1979	29-Oct-1979
श्री	बी.डी. कल्ला	10-Jun-1981	4-Aug-1981	श्री	अखयराज	29-Oct-1979	20-Jan-1981
श्री	सतीश कुमार (आइ.ए.एस.)	29-Aug-1981	2-Aug-1982	श्री	एल.बी. बक्सी	21-Jan-1981	12-Aug-1981
श्री	रामनारायण चौधरी	3-Aug-1982	28-Nov-1983	श्री	अखयराज	16-Aug-1981	3-Aug-1983
श्री	के.के. सक्सेना (आइ.ए.एस.)	28-Nov-1983	2-Aug-1985	श्री	पी.के. लौरिया	3-Aug-1983	27-Sep-1986
श्री	(डॉ) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.)	3-Jun-1985	28-May-1987	श्री	अखयराज	27-Sep-1986	21-Nov-1988
श्री	पी.वी. माथुर (आइ.ए.एस.)	29-May-1987	8-Jul-1987	श्री	आर.एस. कुंभट (आइ.ए.एस.)	21-Nov-1988	6-Sep-1989
श्री	एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.)	8-Jul-1987	15-Sep-1988	श्री	पी.के. लौरिया	13-Sep-1989	1-Jan-1990
श्री	श्रीराम गोटेवाला	15-Jun-1988	6-Mar-1990	श्री	एस. के. मुखर्जी	1-Jan-1990	31-Dec-1990
श्री	पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.)	6-Mar-1990	8-Apr-1990	श्री	एस.एल. जोशी	1-Jan-1991	31-Aug-1992
श्री	चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.)	9-Apr-1990	2-Jul-1991	श्री	बी.जी. शर्मा	15-Jan-1993	2-Mar-1994
श्री	एस. अहमद (आइ.ए.एस.)	2-Jul-1991	6-Jun-1994	श्री	अब्दुल मतीन	1-Jul-1994	28-Aug-1995
श्री	एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.)	6-Jun-1994	21-Jul-1995	श्री	एन.एन. नरहरि	29-Aug-1995	13-Dec-1996
श्री	एस.एन. गुप्ता	24-Jul-1995	30-Nov-1998	श्री	मनोहर लाल (आइ.ए.एस.)	14-Dec-1996	26-Sep-1998
श्री	रवि माथुर (आइ.ए.एस.)	11-Dec-1998	26-Feb-1999	श्री	ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.)	26-Sep-1998	13-Apr-1999
श्री	मानसिंह देवड़ा	27-Feb-1999	1-Dec-2003	श्री	प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.)	13-Apr-1999	3-Mar-2000
श्री	अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	18-Dec-2003	6-Jun-2004	श्री	विनोद जुत्शी (आइ.ए.एस.)	3-Mar-2000	13-Nov-2000
श्री	बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2004	16-Jul-2004	श्री	दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Nov-2000	17-May-2001
श्रीमती	रुषा शर्मा (आइ.ए.एस.)	17-Jul-2004	24-Jun-2005	श्री	बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.)	17-May-2001	15-Jan-2002
श्री	बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	27-Jun-2005	15-Jul-2005	श्री	एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.)	15-Jan-2002	9-Aug-2002
श्री	परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2005	31-Jul-2005	श्री	अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Aug-2002	31-May-2003
श्री	(डॉ) ललित के. पंवार (आइ.ए.एस.)	1-Aug-2005	20-Jan-2006	श्री	कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.)	31-May-2003	15-Jun-2005
श्री	अजयपाल सिंह	21-Jan-2006	20-Dec-2008	श्री	नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.)	21-Jun-2005	17-Sep-2005
श्रीमती	आर.आर. हल्दिया (आइ.ए.एस.)	22-Dec-2008	16-Oct-2009	श्री	ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.)	17-Sep-2005	9-May-2006
श्री	अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	17-Oct-2009	28-Oct-2009	श्री	सोहन लाल (आइ.ए.एस.)	9-May-2006	7-Apr-2007
श्री	ललित कोठारी (आइ.ए.एस.)	29-Oct-2009	21-Nov-2011	श्री	सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.)	7-Apr-2007	18-Feb-2008
श्री	परसराम मोरदिया	21-Nov-2011	16-Dec-2013	श्री	अजय सिंह (आर.ए.एस.)	18-Feb-2008	30-Jul-2008
श्री	जी.एस. सन्धु (आइ.ए.एस.)	19-Dec-2013	23-Dec-2013	श्री	तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.)	30-Jul-2008	18-Jun-2009
श्री	डी.बी. गुप्ता (आइ.ए.एस.)	23-Dec-2013	7-Jun-2014	श्री	अशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.)	18-Jun-2009	24-Aug-2009
श्री	अशोक जैन (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2014	5-Feb-2016	श्री	पवन गोयल (आइ.ए.एस.)	24/ Aug./2009	09/May/2012
श्री	ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016	श्री	टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.)	10/May./2012	28/Sept 2012
श्री	ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017	श्री	नीरज के. पवन (आइ.ए.एस.)	01/Oct./2012	19/Feb 2012
श्री	चमेश कुमार (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	6-Oct-2017	श्री	आर. वेकंटेस्वरन (आइ.ए.एस.)	19/Feb 2012	12-Feb-2014
श्री	श्रीचन्द्र कृपलानी	16-Oct-2017	लगातार	श्री	आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)	12-Feb-2014	24-Jun-2015
				श्री	ओम प्रकाश सेनी (आइ.ए.एस.)	24-Jun-2015	5-Feb-2016
				श्री	ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016
				श्री	ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017
				श्री	डा० के.बी.गुप्ता (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	लगातार



राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)


विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सामान्य	... 1
2	आवास निर्माण/आवंटन	... 1
3	वित्त प्रबन्धन	... 1
4	पंजीकरण प्रक्रिया	... 2
5	गुणवत्ता नियंत्रण	... 10
6	मण्डल की कॉलोनी में नागरिक सुविधाएँ	... 11
7	प्रचार प्रसार	... 11
8	राशि संग्रहण केन्द्र	... 11
9	समस्याओं का समयबद्ध निराकरण	... 14
10	कम्प्यूटरीकरण	... 14
11	भूमि अवाप्ति	... 15
12	भौतिक प्रगति	... 15
13	वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के ग्राफ	... 17
14	अभिनव प्रयोग एवं नवाचार	... 21
15	मण्डल की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ	... 24
16	अफोर्डेबल हाउसिंग योजना-2009	... 32
17	राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण	... 32

तालिकाएं

I.	दिसम्बर-2017 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची	... 35
II.a	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची	... 36
II.b	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची	... 38
III.a	नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	... 40
III.b	आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	... 41
III.c	आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	... 42
III.d	आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	... 43
IV.a	धारा 4(1) मण्डल स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	... 44
IV.b	धारा 11(1) राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	... 45
IV.c	विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	... 45
V.	पुरस्कार	... 46
VI.	स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	... 47
VII.	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल सूची	... 49
VIII.	जिलेवार आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची	... 53
IX.	प्रशासनिक ढांचा	... 56
X.	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची	... 57

राजस्थान आवासन मण्डल का नेटवर्क:



बोर्ड की योजनाएं जालौर एवं करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 65 शहरों/कस्बों में विस्तारित है।

: मण्डल का है यह सपना : सुंदर घर हो सबका अपना :



महाराणा प्रताप सर्किल, प्रताप नगर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन', जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005 राजस्थान (भारत)

(ईपीएबीएक्स – 0141 2740812, 2740113, 2740614: फ़ैक्स – 0141 2740175)

(Website: rhbonline.rajasthan.gov.in; e-mail ID: info@rhbmail.in)